असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

30 मार्च, 2017

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । प्रश्नोत्तर काल । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

अल्पसूचित प्रश्न चलने दीजिए ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : महोदय, सरकार सातवां वेतन आयोग की अनुशंसा को बिहार सरकार लागू नहीं कर रही है, होमगार्ड के लोग.....

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष, आप सभी माननीय सदस्य बैठ जाइए, एक मिनट सुनिए तो । आप बैठिए संजय तिवारी जी । आसन समझता है कि आप सभी माननीय सदस्य जिम्मेवार सदस्य हैं, आप जो भी बातें उठा रहे होंगे, वह स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण होंगी और राज्यहित की होंगी । आसन सिर्फ इतना ही अनुरोध करता है कि हर महत्वपूर्ण बात को उठाने के लिए समय अपने नियमावली में प्रावधानित है । अगर उसको आप समय से उठायेंगे तो उस बात की अहमियत और ज्यादा बढ़ेगी । किसी बात को असमय कहने से उस बात की अहमियत घटती है, न कि बढ़ती है । इसलिए आप लोग समय पर अपनी बात उठायेंगे ।

प्रश्नोत्तर-काल

अल्पसूचित प्रश्न

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-28(श्री भाई वीरेन्द्र)

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, क- आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

ख- वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के 13 जिलों यथा बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, सारण, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर एवं लखीसराय के 961 बसावटों में भूगर्भीय जल में आर्सेनिक की मात्रा पेयजल हेतु अनुमान्य सीमा से अधिक है । राज्य सरकार द्वारा आर्सेनिक प्रभावित बसावटों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु कार्रवाई की जा रही है । जिसके तहत 117 मिनी जलापूर्त्ति योजना ट्रीटमेंट यूनिट के साथ चालू की गयी है एवं

1170 गहरे नलकूप का निर्माण किया गया है, जिससे शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है । इसके साथ ही राज्य सरकार के निश्चय के तहत 961 बसावटों में शुद्ध पेयजल गृह जल संयोजन कर उपलब्ध कराने हेतु 391.60 करोड़ रूपये की योजना स्वीकृत की गयी है, जिसे अगले तीन वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है ।

ग- राज्य के 11 जिलों यथा औरंगाबाद, बांका, कैमूर, भागलपुर, गया, जमुई, मुंगेर, नालन्दा, नवादा, रोहतास एवं शेखपुरा के 3,467 बसावटों में फ्लोराइड की मात्रा पेयजल हेतु अनुमान्य सीमा से अधिक है । राज्य सरकार द्वारा फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत 261 मिनी जलापूर्त्ति योजना ट्रीटमेंट यूनिट के साथ चालू की गयी है । जिससे शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है । इसके साथ ही राज्य सरकार के निश्चय के तहत फ्लोराइड प्रभावित 3,467 बसावटों में शुद्ध पेयजल गृह जल संयोजन कर उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत योजना की स्वीकृति दी गयी है, जिसे अगले तीन वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है । इस प्रकार विभाग आर्सेनिक एवं फ्लोराइड प्रभावित बसावटों में शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराने हेतु संकल्पित है ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, इस सूबे में जहां-जहां फ्लोराइड और आर्सेनिकयुक्त पानी जो पीनेवाले लोग हैं, करीब 90 हजार से ऊपर कैंसर से हर साल लोग पीड़ित हो रहे हैं । तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वर्ष 2016-17 में सरकार ने कितना काम किया है और आगे की क्या कार्य योजना है ?

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत विस्तार से माननीय सदस्य को जानकारी दी है कि अगली योजना क्या है । मतलब जो हमलोगों का लक्ष्य है वर्ष 2020 तक का, उसमें तो एक-एक गांव को हमलोग ट्रीटमेंट करके शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की हमारी योजना है और इस योजना पर सरकार कार्रवाई कर रही है ।

श्री सदानंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है और माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, 3067 गांवों के पेयजल जो आर्सेनिक और फ्लोराइड से युक्त हैं, यह तो पांच वर्षों की योजना है । माननीय सदस्य ने यह प्रश्न किया कि वर्ष 2016-17 में उस योजना के तहत कितने गांवों को आर्सेनिक मुक्त कराया गया ?

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि गांव चिन्हित है, जहां आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित हैं, वह चिन्हित किया हुआ है । हमलोग धीरे-धीरे सारे जगहों पर ट्रीटमेंट करके उस पानी को शुद्ध करके आपूर्त्ति की व्यवस्था कर रहे हैं । वर्ष 2020 तक का लक्ष्य है कि हम एक-एक गांव को, जो भी प्रभावित गांव हैं आर्सेनिक या फ्लोराइड से, उन सब को कवर कर लेंगे ।

श्री सदानंद सिंह : नहीं-नहीं अध्यक्ष महोदय, इस वित्तीय वर्ष में वर्ष 2016-17 में कितने गांवों को विमुक्त करना था आर्सेनिक से, इसकी जानकारी न दें ।

श्री भाई वीरेन्द्र : कितना करना था और कितना किया गया ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदानंद बाबू, सीधे तौर पर इस वित्तीय वर्ष जो एक-दो दिन में समाप्त हो रहा है, इसमें कितने गांवों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था किये हैं, उसके आंकड़े हैं आपके पास ?

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 117 मिनी जलापूर्त्ति योजना ट्रीटमेंट यूनिट के साथ चालू की गयी है और 1170 गहरे नलकूप का निर्माण किया गया है । आर्सेनिक 117 जलापूर्त्ति योजना पूरी की गयी है और 961 बसावटों को अगले तीन वर्षों में पूरा किया जायेगा । तीन वर्षों का लक्ष्य है ।

श्री सदानंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक वर्ष में 117 तो पांच वर्ष में तीन हजार कैसे पूरा कर दिया जायेगा, यह हमारा प्रश्न है ?

अध्यक्ष : अगली बार से तेज करेंगे ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि धीरे-धीरे कर रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि हम धीरे-धीरे कर रहे हैं । ठीक माननीय सदानंद बाबू ने कहा और जो आंकड़े आये हैं कि प्रतिवर्ष 90 हजार लोग आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित होते हैं । पांच वर्षों की इनकी योजना है तो इस तरह से साढ़े चार लाख लोग कैंसर से प्रभावित हो जायेंगे तो हम सरकार से जानना चाहते हैं कि धीरे-धीरे क्या होता है ? आप यह बताइए कि आपने एक साल में मात्र 117 टोलों में ही आर्सेनिकमुक्त पेयजल आपूर्त्ति कराने का काम किया है फ्लोराइड क्षेत्रों में जाकर । तो जो आपका रफ्तार है, उस रफ्तार से पांच साल क्या, 25 साल में पूरा नहीं होगा तो आप स्पष्ट बताइए कि पांच साल की जो आपकी कार्य योजना है, वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 आनेवाला है, प्रतिवर्ष क्या कार्य योजना है और जो लोग कैंसर से प्रभावित हो रहे हैं, उनको बचाने के लिए तत्कालिक सरकार कौन सा कदम उठा रही है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अगले वर्ष से कुछ त्वरित कार्रवाई का कोई विचार है ?

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रेम बाबू, स्वयं भी इस विभाग के मंत्री रह चुके हैं और वे सारी बातों को जानते हैं । मैं इतना स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि चूंकि अब यह योजना निश्चय योजना में शामिल हो गयी है, इसलिए निश्चित तौर पर इसके स्पीड में तेजी आयेगी और जो निर्धारित समय सीमा है, उस समय सीमा में सारी योजनायों को पूरा करने में सफल हो जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री विनोद प्रसाद यादव : महोदय, हमारे यहां भी समस्या है, मेरा क्षेत्र भी आर्सेनिक एवं फ्लोराइीड से ग्रसित है ....

अध्यक्ष : आप लोग जो पूछ रहे हैं तो जितने जिले का इसमें जिक्र है उसमें न तो गया है और न दरभंगा है ।

श्री फराज फातमी : अध्यक्ष महोदय, पिछले साल जब इस समस्या की जांच करायी गयी तो कई लोग कैंसर से पीड़ित थे तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि इसमें दरभंगा जिला को भी जोड़ा जाय और इसकी जांच करायी जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

टर्न-2/शंभु/30.03.17

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0-29(श्री जिवेश कुमार)</u>

श्री महेश्वर हजारी,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1-अस्वीकारात्मक है। पटना नगर निगम के पत्रांक 3194, दिनांक 29.03.2017 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत नियमित रूप से कार्यक्रम बनाकर वार्डवार फौगिंग करायी जा रही है। प्रसंगवश पटना सिटी अंचल का फौगिंग कार्यक्रम की सूची संलग्न है। फौगिंग कराने के बाद वार्ड पार्षदों एवं स्थानीय लोगों से भी छिड़काव संबंधी प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर कराया जाता है।

2-आंशिक स्वीकारात्मक है। पटना नगर निगम के पत्रांक 3194, दिनांक 29.03.2017 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार टेक्नीकल मैलाथियान का छिड़काव स्वास्थ्य विभाग के अनुसार डेंगू के रोकथाम के लिए किया जाता है । टेक्नीकल मैलाथियान की मार्केट में अनुपलब्धता के कारण प्लांट मैलाथियान 50 प्रतिशत की दुगुनी मात्रा से छिड़काव किया जा रहा है। प्लांट मैलाथियान की दुगुनी मात्रा का प्रभाव टेक्नीकल मैलाथियान के समतुल्य हो जाता है।

3- रोस्टर के साथ प्रत्येक वार्ड में फौगिंग नियमित रूप से करायी जाती है।

श्री जिवेश कुमार : महोदय, अगर खंड-1 दूसरा प्रश्न आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है तो पहला प्रश्न अस्वीकारात्मक कैसे हो जायेगा। मैं यह जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कि जिस चीज को छिड़कना है जिस दवा को वह दवा ही उपलब्ध नहीं है तो मच्छर मरेगा कैसे ? अब ये सरकार जवाब दे कि सरकार को 2 करोड़ 10 लाख रूपये का चपत लगाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है सरकार कि नही? दूसरा पूरक है मेरा कि श्री अभिषेक सिंह नगर आयुक्त हैं और उन्होंने कहा है 24.03.2017 को कि 10 दिनों से टेक्नीकल मैलाथियान खत्म है तो छिड़काव कैसे हो रहा है, माननीय मंत्री जी यह बताएं । दूसरा इसी का पूरक है कि डाक्टर शम्भु शरण सिंह, जिला मलेरिया पदाधिकारी हैं और उन्होंने कबूला है कैमरा पर कि मलेरिया की दवा खत्म

है, स्वास्थ्य विभाग से अनुरोध किया गया है तो मलेरिया की दवा का छिड़काव कैस हो रहा है ? इन प्रश्नों का जवाब माननीय मंत्री दें।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने तो आपके खंड-2 के उत्तर में बताया है कि टेक्नीकल मैलाथियान में और सामान्य मैलाथियान में यह फर्क है कि टेक्नीकल मैलाथियान में डेंगू के जो कीड़े होते हैं उसपर ज्यादा प्रभावी होता है, लेकिन बाकी के जो कीड़े होते हैं उसपर भी तो करना है।

श्री जिवेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन साल में बिहार का रेकार्ड देख लीजिए डेंगू के मरीज में अनवरत बढ़ोत्तरी हुई है और अगर टेक्नीकल मैलाथियान का छिड़काव नहीं हो रहा है तो डेंगू से मरनेवाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री महोदय से कि इसमें जो घपला हो रहा है, 2 करोड़ 10 लाख रूपये राज्य के राजस्व का हर महीने नुकसान हो रहा है तो क्या दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे ?

श्री महेश्वर हजारी,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी जो नगर आयुक्त हैं जिनको कह रहे हैं दोषी व्यक्ति वह इतने अच्छे हैं जब से वह आये हैं पटना नगर निगम की जो स्थिति पहले खस्ताहाल थी, उसको सुधारने का काम किया गया है, अच्छा काम चल रहा है। यदि आपको फौगिंग का तो हमारे पास रोस्टरवाइज कि किस वार्ड में कब जाना है, रोस्टरवाइज मेरे पास सूची है। आप कहियेगा तो हम रोस्टरवाइज सूची पढ़कर बता देंगे, लेकिन फौगिंग का काम वार्डवाइज बंटा हुआ है, काम वहां फौगिंग मशीन चलाया जाता है और वहां मच्छर मारने की कार्रवाई होती है।

श्री जिवेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, प्रकाश पर्व के बाद मैं चुनौती देता हूँ सरकार को कि मलेरिया के दवा का छिड़काव नहीं हुआ है। वार्ड मेम्बर को बुलाया जाय और उससे पूछा जाय कि छिड़काव हुआ है क्या, नहीं हुआ है ।

श्री नन्दकिशोर यादव : महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया, उन्होंने जवाब दिया है कि टेक्लीकल मैलाथियान की बजाय सामान्य मैलाथियान की दुगुनी मात्रा के द्वारा छिड़काव कर रहे हैं और वे कह रहे हैं कि वार्डवाइज रोस्टर है। महोदय, हमलोग पटना शहर के लोग हैं और यहां माननीय सदस्य भी पटना शहर में रह रहे हैं डेढ़ महीने से, अगर इन दवाओं का छिड़काव हो रहा है तो मच्छर मर क्यों नहीं रहे हैं। दवा के छिड़काव के बाद भी अगर मच्छर लोगों को तंग कर रहा है, परेशान कर है तो दवा के असर का क्या मतलब है ? मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि इन दवाओं के छिड़काव के बाद भी अगर मच्छरों का उन्मूलन नहीं हो रहा है तो इस छिड़काव का क्या अर्थ है, क्या इसके अंदर जो दवा इस्तेमाल की जा रही है उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, बताइये।

श्री महेश्वर हजारी,मंत्री : महोदय, यह अच्छे दिन का प्रतीक है, चूंकि भारत सरकार को हमलोगों के विभाग में जो पैसा भेजना था 800 करोड़ रूपया, वह अभी तक भारत सरकार हमलोगों के विभाग का नहीं दिया है। भारत सरकार पर बाकी है बिहार सरकार का पैसा और

उसका दुर्भाग्य है कि इस तरह से हमारे आदरणीय माननीय सदस्य नन्दकिशोर बाबू कह रहे हैं, इनके समय में मच्छर नहीं था क्या ? जवाब सुन लीजिए।

श्री नन्दकिशोर यादव : इनको भारत सरकार से मदद चाहिए, ये नाकाबिल हैं, सरकार क्या चलाइयेगा?

(व्यवधान)

श्री महेश्वर हजारी,मंत्री : आपको जवाब.....

श्री नन्दकिशोर यादव : आप मच्छर भी नहीं मार सकते हैं।

अध्यक्ष : अब अल्पसूचित प्रश्न समाप्त हुआ। तारांकित प्रश्न-1284, श्री अभय कुमार सिन्हा।

तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न-1284(श्री अभय कुमार सिन्हा)

श्री महेश्वर हजारी,मंत्री : महोदय, यह ट्रांसफर हो गया है।

तारांकित प्रश्न सं0-2364(श्री लाल बाबू राम)

अध्यक्ष : पूछा हुआ है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

डा0 मदन मोहन झा,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न ट्रांसपोर्ट में ट्रांसफर किया गया है।

तारांकित प्रश्न सं0-2962(डा0 रामानुज प्रसाद)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-2963(श्री अचमित ऋषिदेव)

अध्यक्ष : उत्तर दिया हुआ है, पूरक पूछिए।

श्री अचमित ऋषिदेव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि हमारे यहां केवल एक ही डाक्टर हैं, जितना जल्द हो सके कृपया डाक्टर को कब तक भेज देंगे ताकि जनता के बीच चर्चा का विषय होगा और हमारी भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी सरकार की, कब तक भेजा जायेगा माननीय मंत्री जी से आग्रह करते हैं।

श्री अवधेश कुमार सिंह,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने कहा है कि हमारे यहां 903 डाक्टरों की बहाली हो रही है, एडवर्टिजमेंट हो गया है। जिस दिन यह बहाली हो जायेगी माननीय सदस्य जी आपके यहां पहला पोस्टिंग उसका करायेंगे।

तारांकित प्रश्न सं0-2964(श्री निरंजन कुमार मेहता)

श्री अवधेश कुमार सिंह,मंत्री : उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति है कि डा0 रविन्द्र कुमार संविदा के आधार पर नियोजित पशु चिकित्सक के रूप में भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर ग्वालपारा प्रखंड मुख्यालय स्थित पशु चिकित्सालय में

कार्यरत थे। फरवरी माह में डा0 कुमार संविदा समाप्त होने के पश्चात् डा0 अशोक कुमार भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी उदाकिशन, मधेपुरा को ग्वालपारा प्रखंड मुख्यालय स्थित पशु चिकित्सालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पशु चिकित्सकों की संविदा अवधि समाप्त होने के पश्चात् सेवा नियोजन अवधि विस्तार की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। सम्प्रति पशु चिकित्सा पदाधिकारी के 903 पदों की नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है। अनुशंसा प्राप्त होते ही नियुक्ति पदस्थापन की कार्रवाई प्रारंभ कर दिया जायेगा।

श्री निरंजन कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करूँगा कि जो पहले संविदा में थे वहां पर क्योंकि ग्वालपारा और उदाकिशुन की दूरी 12 कि0मी0 है वहां से और एक जगह डबल में काम करने में भी दिक्कत होगी तो जो संविदा पर थे तत्काल उसी का डेट एक्सटेंशन कर दिया जाय जिससे कि वहां के पशुपालक को सुविधा होगी।

टर्न–3/अशोक/30.03.2017

तारांकित प्रश्न संख्या–2965(श्री निरंजन कुमार मेहता)

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक हैं । वस्तुस्थिति यह है कि मधेपुरा जिला अन्तर्गत मुरलीगंज नगर पंचायत है, नगर पंचायत मुरलीगंज में डी.एफ.आई.डी. स्पर मद से पत्रांक 69 दिनांक 11.04.2012 द्वारा बस स्टैण्ड निर्माण हेतु राशि आवंटित की गई जिसमें बस स्टैण्ड के लिए मिट्टी भराई, जमीन का पक्की कारण, चहारदिवारी का निर्माण, सामुदायिक शौचालय का निर्माण इत्यादि कार्य कराने का प्रावधान है । प्रस्तावित बस पड़ाव की जमीन मिट्टी भराई का कार्य 14 लाख 12 हजार रू0 मात्र का कार्य पूर्ण हो चुका हैं । चहारदिवारी के निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि 10 लाख 16 हजार 100 रू0 मात्र हैं, चहारदिवारी निर्माण कार्य का 70 प्रतिशत पूर्ण हो चुका हैं साथ ही अन्य कार्य भी शीघ्र प्रारम्भ कर दिया जायेगा । उक्त योजना पूर्ण होने के पश्चात बस स्टैण्ड चालू करा दिया जायेगा।

बिहारीगंज, ग्वालपाड़ा एवं उदाकिशनगंज ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है जिसमें बस पड़ाव का निर्माण परिवहन विभाग के द्वारा कराया जायेगा ।

अध्यक्ष : ठीक ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या–2966(श्री दिनेश चन्द्र यादव)

श्री(डॉ0) मदन मोहन झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है ।

समाहर्त्ता, सहर्षा के प्रतिवेदनानुसार सहर्षा जिलान्तर्गत बनवा इटहरी प्रखण्ड का कार्यालय भवन के निर्माण के लिए सर्वप्रथम वर्ष 2011-12 में अधियाचना प्राप्त हुआ था, परन्तु इस परियोजना हेतु कोई आवंटन प्राप्त नहीं हुआ। सम्प्रति इस परियोजना हेतु नये भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत प्रभारी पदाधिकारी राजस्व शाखा, सहर्षा के पत्रांक 126/2-राजस्व दिनांक 2.3.2017 के द्वारा अधियाचना प्राप्त हुआ है, प्रावधानों के आलोक में भू-अर्जन हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है ।

श्री दिनेश चन्द्र यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, हमारा प्रश्न स्पष्ट था कि यह प्रक्रिया 1995, 2005-06 से प्रक्रिया शुरू की गई, माननीय मंत्री जी कहते हैं कि अधिसूचना 2011 में हुई, वह तो प्रक्रिया के तहत अधिसूचना होती हैं तो इन्होंने आंशिक रूप से कैसे स्वीकार करने की बात कही ? इसलिये हम जानना चाहते है अध्यक्ष महोदय, जब इतने दिन से यह मामला लटका हुआ है तो क्या सरकार इसको शीघ्र अधिग्रहण की कार्रवाई पूरा करायेगी क्या ?

श्री(डॉ0) मदन मोहन झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं ने साफ कहा है कि इसकी प्रक्रिया 2011-12 में शुरू हुई है, माननीय सदस्य जानते हैं कि जब इसका रिक्वीजीशन होता है उसके साथ फंड का एलौटमेंट किया जाता है उस विभाग से वह नहीं करने के कारण वह रूक गया है अब पुनः 02.03.2017 को इसके कार्रवाई शुरू हुई हैं, हम समझते हैं बहुत जल्द इस पर कार्रवाई हो जायेगी, उनके शंका का समाधान हो जायेगा।

अध्यक्ष : तारांकित प्रश्न संख्या 2967(श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन)

श्री दिनेश चन्द्र यादव :अध्यक्ष महोदय, एक मिनट ..

अध्यक्ष : अब तो यह शुरू हो गई है, पहले तो शुरू ही नहीं हुई थी ।

श्री दिनेश चन्द्र यादव : वही तो, प्रश्न मेरा बिल्कुल सही है हम चुनौती के साथ कहेंगे कि...

अध्यक्ष : उसी का न उत्तर दिये हैं ।

श्री दिनेश चन्द्र यादव : उसी समय से प्रक्रिया चल रही है और अधिसूचना वगैरह राजस्व विभाग से आता है तो प्रक्रिया के क्रम में आता है वह, इन्होंने कहा कि राशि नहीं मिली तो हम यह जानना चाहते हैं कि राशि कहां से जायेगी, ग्रामीण विकास की तरफ से राशि जायेगी या राजस्व विभाग राशि देगी यह हम जानने चाहते हैं माननीय मंत्री से।

श्री(डॉ0) मदन मोहन झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास से राशि जायेगी ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या 2967 (श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन)</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>तारांकित प्रश्न संख्या 2968 (श्री मनोहर प्रसाद सिंह)</u>

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1- आंशिक स्वीकारात्मक है । कटिहार जिला के बनिहारी नगर पंचायत के वार्ड संख्या-11 में वर्ष 1998-99 में सामुदायिक भवन 3 लाख 70 हजार रूपये की राशि से निर्मित है जिसके जिर्णोधार के लिए अल्प- कालिक निविदा आमंत्रित सूचना -7-2015/16 दिनांक 30.03.2016 को सम्पन्न हुई, उक्त कार्य की एकरारनाम की राशि 10 लाख 16 हजार 932 है । उक्त कार्य प्राक्कलन के विशिष्टियों के अनुरूप कराया जा रहा है ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : माननीय महोदय द्वारा बताया गया कि प्राक्कलित राशि जो की गई है उसी के अनुरूप काम किया जा रहा है, 1998-99 में 3 लाख 70 हजार में बिल्डिंग बनी, मैं मानता हूँ कि मंहगाई के कारण उसको सिर्फ जिर्णोधार करने में 11 लाख रूपया खर्च हो रहा है जबकि तीन साल पहले उसमें एस.डी.ओ. का ऑफिस चल रहा था ....

अध्यक्ष : मनोहर बाबू, आप चाहते क्या हैं ? पूरक क्या है ?

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : मैं चाहता हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिये जो प्राक्कलित राशि के अनुसार उस पर काम नहीं हो रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए । मैंने पहले भी अनुरोध किया था डी.एम. साहब से, लेकिन उसकी जांच नहीं हुई । किसी ठीक एजेंसी से जाचं कराई जाय ।

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री : माननीय सदस्य जिनसे कहेंगे हम जांच करा देंगे उसको ।

अध्यक्ष : ठीक ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-2969(श्री सैयद अबु दौजाना)</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-2970(श्री सुदामा प्रसाद)</u>

श्री मदन सहनी, मंत्री : महोदय, 1-स्वीकारात्मक है ।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के पूर्विकताप्राप्त लाभुकों को प्रतिमाह 5 किलोग्राम खाद्यान्न जिसमें दो किली गेहूँ एवं 3 किलोग्राम चावल तथा अन्त्योदय योजना मद में प्रत्येक परिवारों को प्रतिमाह 35 किलोग्रम खाद्यान्न जिसमें 14 किलोग्राम गेहूँ एवं 21 किलोग्राम चावल दिया जाता हैं । सरकार के निर्णयानुसार जन वितरण प्रणाली के दुकानों को डोर स्टेप डिलेवरी के माध्यम से आंटित खाद्यान्न को उनके दुकान पर विक्रेताओं को हस्तगत कराया जाता है ।

2-स्वीकारात्मक है ।

भोजपुर जिले में जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों द्वारा माह अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर, 2016 के विरूद्ध आवंटित खाद्यान्न का उठाव हेतु निगम खाते में राशि जमा की गयी है । जिला में सम्बद्ध भारतीय खाद्य निगम डीपो

में खाद्यान्न का भंडार ससमय उपलब्ध नहीं रहने से डीपो स्तर पर उठाव कार्य में व्यवधान उत्पन्न होने एवं जिला में अन्य संक्रियात्मक कराणों से उठाव कार्य प्रभावित होने के फलस्वरूप माह अप्रैल, 2016 से दिसम्बर, 2016 तक आवंटित खाद्यान्न का शत्-प्रतिशत उठाव नहीं हो पाया, जिसके कारण जिले में खाद्यान्न की कमी होने की स्थिति में टी.पी.डी.एस. के अन्तर्गत वितरण प्रीाावित रहा है । खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण की समीक्षा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 02.01.2017 को हुये विडियों कॉफ्रेसिंग के दौरान बैकलॉग खाद्यान्न का वितरण आवंटन माह के खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण उसी माह सुनिश्चित कराने हेतु दिये गये निदेश के आलोक में भोजपुर जिले में माह अक्टूबर, नवम्ब्र एवं दिसम्बर,2016 के आवंटित खाद्यान्न के वितरण को स्थगित रखा गया है एवं माह जनवरी, 2017 से वितरण नियमित रूप से कराया जा रहा है । व्ययगत खाद्यान्न का उठाव हेतु भारत सरकार से अवधि विस्तार प्राप्त करने की कार्रवाई की गई है, अवधि विस्तार प्राप्त होने पर खाद्यान्न का उठाव कर स्थगित माह के आवंटित खाद्यान्नों का संबंधित टी.पी.डी.एस. के विक्रेताओं को डोर स्टेप डिलेवरी के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण कर दिया जायेगा ।

3- उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

श्री सुदामा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि यह उठाव क्यों नहीं हुआ ? इसका ये साफ-साफ जवाब दें, यह गोल-मटोल जवाब है, उठाव क्यों नहीं हुआ मैं इसका जवाब दे दूंगा आप कहियेगा तो, क्यों नहीं हुआ उठाव और जो दोषी अधिकारी हैं उनपर सरकार क्या कार्रवाई करना चाहेगी और जो तीन माह का बकाया राशन है सरकार उनको कब तक उपलब्ध करायेगी? यह तीन मेरा पूरक प्रश्न है ।

अध्यक्ष : उन्होंने तो कारण बताया है जो अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर में क्यों दिक्कत हुई, कारण बताया है उन्होंने ।

श्री नवाज आलम : महोदय, माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं , माननीय मंत्री जी आरा गये थे .....

अध्यक्ष : आपका पूरक खत्म हो गया ?

श्री सुदामा प्रसाद : खत्म नहीं हुआ ।

अध्यक्ष : नवाज जी, जब ये पूछ रहे हैं तो बैठ जाइये, प्रश्नकर्त्ता को पूछने दीजिये ।

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, यह उठाव क्यों नहीं हुआ, इसका साफ जवाब मंत्री जी ने नहीं दिया ।

अध्यक्ष : उन्होंने पढ़ा है, जवाब में लिखित था कि किस कारण से ।

श्री सुदामा प्रसाद : यह छत्तीसगढ़ भेजा जा रहा था तरारी ब्लॉक से तीन ट्रक पर वह मालूम हुआ तो हमलोग पकड़वाये और जो अधिकारी थे, वे फरार थे, इस वजह से यह उठाव नहीं हुआ ।

अध्यक्ष : वह तो अलग से संज्ञान में दीजिये वे उसकी जांच करा देंगे ।

टर्न-4/ज्योति

30-03-2017 क्रमशः

श्री सुदामा प्रसाद : क्यों उठाव नहीं हुआ, तीन माह का राशन कब देगी सरकार और दोषी अधिकारी पर क्या कार्रवाई होगी ?

अध्यक्ष : मंत्री जी बोल रहे हैं जवाब सुनिये न ।

श्री मदन सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने स्पष्ट रुप से बताया है कि भोजपुर जिला में तीन महीने का जो बैक लौग है और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो बैक लौग हुआ है उसको स्थगित रखा गया है और केन्द्र सरकार से अवधि विस्तार के लिए लिखा गया है और अवधि विस्तार मिलने पर हमलोग तीन महीने का आवंटन जब आ जायेगा तो उसका वितरण करवायेंगे ।

अध्यक्ष : चलिए, उसकी कार्रवाई हो रही है तीन महीने की, अब इस प्रश्न में कुछ नहीं है ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं है । महोदय, हम सरकार को चुनौती देते हैं यदि हमारी बात गलत होगी तो राजनीति से सन्यास ले लूँगा । पूरे बिहार में कहीं गरीबों को अनाज नहीं मिल रहा है । अनाजों की लूट हो रही है । सरकार अनाज लूटने में विफल हो रही है । पूछिये मेम्बरों से गलत है , बताईये ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठने के लिए कहिये न, बैठिये।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, आपसे आग्रह है और यह सवाल हमारा नहीं है। राज्य का सवाल है और हजारों लाखों अति पिछड़ा, स्वर्ण जाति के गरीब, महादलित का सवाल है, आपसे आग्रह और निवेदन होगा कि आप सारे सत्ता पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया है, प्रतिपक्ष आरोप लगा रहा है, हम आपसे आग्रह करेंगे कि विधान सभा की कमिटी बनाकर इसकी जॉच करा दीजिये ।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, प्रश्न में जो बातें उठायी गयीं हैं, सरकार ने स्वीकार किया है। सबसे पहली बात यह समझ लीजिये, सरकार ने स्वीकार किया है कि आरा जिले का जो आवंटन है, अक्तूबर से लेकर दिसम्बर तक वो स्थगित रखा गया है, सरकार ने कहा है कि मुख्य सचिव के स्तर पर भी इसकी समीक्षा हुई है, अतिरिक्त आवंटन का अनुरोध

किया गया है । अतिरिक्त आवंटन मिलने पर उसकी भरपाई की जायेगी तो अब इसमें क्या बच रहा है । नहीं, इसमें कुछ नहीं बच रहा है ।

तारांकित प्रश्न संख्या - 2971 (श्री लाल बाबू राम)

श्री कृष्ण नंदन वर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आंशिक रुप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत सकरा प्रखंड एवं मुरौल प्रखंड के पूर्वी भाग में जल स्तर गर्मी के दिनों में अन्य भाग की अपेक्षा नीचे चला जाता है । मार्च, 2016 में क्षेत्रों में औसत भू-जल स्तर 23 फीट था जबकि इस वर्ष मार्च 2017 में औसत जल स्तर 26 फीट है गर्मी के दिनों में 25 फीट से अधिक नीचे भू-जल स्तर में गिरावट होने पर साधारण चापाकल अकार्यरत हो जाते हैं परन्तु इंडिया मार्क 11 एवं मार्क 111 चापाकल कार्यरत रहता है क्योंकि इन चापाकलों की जल निकासी की क्षमता 80 फीट तक है । इन क्षेत्रों में इंडिया मार्क 11 और 111 पंप के साथ 271 अदद चापाकल चालू है जिसमें जलापूति हो रही है । इसके साथ ही दो अदद ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना एवं 4 अदद मिनी जलापूर्ति योजना भी कार्यरत है जिससे ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है। गर्मी के दिनों में चापाकल मरम्मती हेतु, मोबाईल दल द्वारा विशेष अभियान की व्यवस्था की जाती है जिससे कि सभी कार्यरत अवस्था में रहे ।

श्री लाल बाबू राम : माननीय अध्यक्ष महोदय, वहॉ जल स्तर नीचे है जिससे जल संकट बना रहता है। गर्त वर्ष कुछ व्यवस्था की गयी । वहॉ पर जल संकट बना हुआ है । उसके स्थायी निदान के लिए क्या उपाय मंत्री जी कर रहे हैं क्योंकि हमलोग वहॉ के स्थानीय विधायक हैं । सभी लोग हमको कहते हैं कि जल संकट है, चापाकल हमलोगों को 5 मिलता है जो दो करोड़ की राशि मिलती है उसमें समरसेबुल नहीं देना है । इतना जल संकट है कि दो दो किलोमीटर दूर जाकर जल लाते हैं । जो लोग प्राईवेट समरसेबुल लगाए हुए हैं उनके यहॉ से जाकर पानी लाते हैं ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये न ।

श्री लाल बाबू राम : जी सर । इस जल संकट से निदान कबतक होगा ?

श्री कृष्ण नंदन वर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जिन दो प्रखण्डों की चर्चा माननीय सदस्य ने की है उसके बारे में हमने विस्तार से बता दिया कि जल स्तर की स्थिति क्या है और वैसी स्थिति में इंडिया मार्क 11 जो चापाकल हमलोग दते हैं, वह सभी जगहों पर काम कर रहा है और अगर किसी तरह से गर्मी में जो जल स्तर नीचे चला आता है और बहुत से चापाकल खराब हो जाते हैं, उसके लिए एक टौल फ्री नंबर है हमारा उसके लिए हम सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करेंगे कि उसको नोट कर लें और उसपर आप फोन करेंगे तो तुरत आपको उसका जवाब आयेगा और जो हमारा मोबाईल गैंग है चापाकल मिस्त्री का वह जाकर वहॉ तुरत दुरुस्त कर देगा । टौल फ्री नंबर है 1800,1231,1121 ।

(व्यवधान)

आप नोट कर लीजिये कहेंगे तो भेजवा दूँगा ।

अध्यक्ष : चार ही डिजीट का नंबर बोल रहे हैं कोई मोबाईल जैसा 10 डिजीट का नहीं ।

श्री कृष्णनंदन वर्मा, मंत्री : यह अखबार में भी विज्ञापित होता है इससे आपलोग अवगत हो जायेंगे । तो गर्मी के दिनों में लोगों को कष्ट नहीं हो, चापाकल तुरत ठीक कर दियाा जाय इसकी व्यवस्था की गयी है । आपके यहां इंडिया मार्क 11 एवं 111 के कई चापाकल लगे हुए हैं जिससे जलापूर्ति हो रही है ।

श्री लाल बाबू राम : महोदय, इंडिया मार्का -11 जो भी सर चापाकल लगा हुआ है वह काम नहीं कर रहा है । इतना जल संकट है हमारे वहाँ के जितने भी जिला प्रतिनिधि हैं उनसे पूछ लिया जाय ।

अध्यक्ष : लाल बाबू जी, जो प्रक्रिया माननीय मंत्री जी ने बतायी है, उसके तहत आप उसका निराकरण करा लीजिये ।

श्री लाल बाबू राम : वह संभव नहीं है ।

तारांकित प्रश्न संख्या -2972 (श्री नन्द किशोर यादव)

श्री मदन मोहन झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक रुप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि कुल 721 नियमित अमीन के पद पर नियुक्ति हेतु विभागीय पत्रांक 30/4 दिनॉक 17-1-2014, पत्रांक 31/4 दिनॉक 17-1-2014, पत्रांक 31/4 दिनॉक 6-2-2014 पत्रांक 537/4 दिनॉक 2-12-2013 के द्वारा अभियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गयी थी । बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ परीक्षा का आयोजन किया गया एवं कुल 820 अभ्यर्थियों की नियुक्ति अमीन के पद पर किए जाने हेतु अनुशंसा सूची राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को उपलब्ध करायी गयी विभाग के स्तर पर अनुशंसित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक योग्यता एवं तकनीकी योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्रों के जॉच के क्रम में कुल तीन अभ्यर्थी की शैक्षण्कि योग्यता एवं तकनीकी योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र सही पाया गया जिसके आलोक में वैसे सभी तीन अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गयी । बिहार अमीन नियमावली, 2013 में संशोधन करते हुए अमीन के अतिरिक्त पद सृजित किए गए है । कुल 101 भूमि समाहर्ता के कार्यालय के लिए 101 अमीन का पद सृजित किया गया है । साथ ही वर्तमान में पॉच पंचायतों के लिए एक अमीन का पद सृजित किया गया है । इसप्रकार कुल 1802 अमीन का पद सृजित है जिसके विरुद्ध 256 अमीन संविदा के आधार पर एवं नियमित नियुक्ति के आलोक में विभिन्न जिलों में कार्यरत हैं । अमीन के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु विभाग के स्तर पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है । सभी जिलों से रिक्ति से संबंधित रोस्टर प्राप्त हो चुका है। परीक्षा आयोजन के लिए अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है ।

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय, माननीय मंत्री महोदय का जवाब ही अपने आप में अभूतपूर्व है । हॉ, बिल्कुल, महोदय, अभूतपूर्व है, देखिये न, मंत्री महोदय ने कहा कि इन्होंनें कर्मचारी

चयन आयोग को अभियाचना किया नियुक्ति के लिए, 820 अमीनों की बहाली की अनुशंसा की कर्मचारी चयन आयोग ने महोदय, किसी पद पर बहाली के लिए क्या आहर्ता होनी चाहिए सामान्यतः विभाग तय करता है और विभाग ने कोई आहर्ता तय किया होगा, उस 820 अनुशंसा के आलोक में जब विभाग ने सर्टिफिकेट वगैरह की जॉच की तो केवल तीन औनली थ्री , केवल तीन इनको योग्य दिखायी पड़े महोदय, 817 उसके अयोग्य दिखायी पड़े । महोदय, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या कर्मचारी चयन आयोग अगर किसी की अनुशंसा करता है तो जो मानक विभाग तय करता है, उस मानक का विचार नहीं करता है क्या ? एक बड़ा सवाल है महोदय ।

क्रमशः

टर्न–5/30.3.2017/बिपिन

श्री नन्द किशोर यादवः क्रमशः महोदय, दूसरा जो प्रश्न इसमें खड़ा होता है, लेकिन पहले इसका जवाब मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि आखिर ऐसी परिस्थिति अभूतपूर्व नहीं है तो क्या है ? ऐसा कभी होता है क्या कि 820 की बहाली की अनुशंसा होती है और केवल 3 की बहाली हो पाए ? कौन–से कारण थे, एक यह जानना चाहता हूं और महोदय, दूसरा, मैं जानना चाहता हूं कि यह तो दो साल पहले की बात है, यह अनुशंसा तो दो साल पहले हुई थी, दो साल के बाद भी अब तक क्या प्रगति है ? फिर कर्मचारी चयन आयोग को भेजने वाले हैं ? क्या हाल है कर्मचारी चयन आयोग का ? एक बार मंत्री जवाब दे दें । फिर अगला प्रश्न पूछूंगा ।

श्री(डॉ0)मदन मोहन झा,मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह सही है जो कहीं–न–कहीं चूक हुई थी उसमें, इसीलिए तीन अभ्यर्थी, जिसके कारण नहीं हो सका । अब हमलोग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से उसका परीक्षा करवा रहे हैं और माननीय सदस्य, हमलोग समाहर्त्ता को भी अमीन के कमी को देखते हुए समाहर्त्ता को भी प्रदत्त किए थे वह पावर जो आप रिटायर्ड अमीन को बहाल कर लीजिए और 65 साल तक हमलोगों ने छूट दिया था और हम समझते हैं कि तीन महीना के अंदर में हमलोग इसको निश्चित रूप से पूरा कर लेंगे।

श्री नन्द किशोर यादवः क्या पूरा कर लेंगे महोदय ? क्या पूरा कर लेंगे ? अभी तो परीक्षा ही आयोजित नहीं किया है कर्मचारी चयन आयोग ने । महोदय, क्या जवाब दे रहे हैं मंत्री महोदय ? मैं चाहूंगा मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप करें इसमें । आखिर जवाब की कोई सीमा होनी चाहिए न ! भाई, कोई तो सीमा होनी चाहिए न ! वो कह रहे हैं कि अभी हम अनुशंसा करने वाले हैं । परीक्षा आयोजित करने वाले हैं कर्मचारी चयन आयोग । कर्मचारी चयन आयोग आज खुद प्रश्नचिंह के घेरे में खड़ा है महोदय ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इस घटना में मैंने हस्तक्षेप किया था और यह मैंने विभाग से पूछा था, जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि आफ्टर ऑल जब कर्मचारी चयन आयोग

को दिया था तो उसकी क्या अर्हत्ता होगी, यह तो बताना ही चाहिए था । कर्मचारी चयन आयोग ने अनुशंसा करके भेज दिया । समस्या क्या हो रही है कि अब अमीन की कोई ट्रेनिंग वगैरह लेता नहीं है । हो जाने के बाद लोग अमीन का सर्टिफिकेट देखने लगे । यह विभाग का आफ्टर थॉट था । इतना बोलने में मुझे संकोच नहीं हैं, चूंकि हमलोग खुद आश्चर्य चकित थे । जितने भी भूमि विवाद होते रहते हैं, उसके लिए पहला काम करना पड़ता है नापी का और उसके लिए अमीन ही उपयुक्त व्यक्ति होता है और अमीन की कमी रहेगी तो बहुत सारे मामले लंबित रह जाएंगे । तो इस समस्या को समझते हुए हमलोगों ने उस समय भी कहा, लेकिन आप जानते हैं कि एक बार कहीं से कोई कलम चल जाता है तो फिर कई प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न होती है । आप भी रहे ही हैं सरकार में । तो यह दिक्कत हुई है और यह देखा गया है कि जिस प्रकार का विभाग ने उस समय जो सोचा था, उतनी अर्हत्ता रखने वाले उम्मीदवार ही नहीं मिलेंगे, बल्कि मैंने तो यह भी प्रश्न पूछा था कि भाई, जब आपने, संविदा पर बहाली हुई थी, तो उस समय लोग मिले तो जो संविदा पर काम कर रहे थे तो फिर उसको नियमित नियुक्ति में भी देखना चाहिए था । इन सारी बातों पर एक नहीं, अनेक बार चर्चा हुई लेकिन फिर भी जिनका नाम अनुशंसित होकर आ गया था उसमें कोई रास्ता निकल नहीं पाया । इसलिए इसके बारे में नए सिरे से विचार करके और भी जितनी वैकेंसीज हैं, सबको मिलाकर अब विभाग कर रहा है और हम जब भी इस विभाग की समीक्षा करते हैं उसमें यह बिन्दु जरूर रहता है, अमीनों की नियुक्ति । चूंकि जहां कहीं भी हम जाते हैं, हम देखते हैं, बिना अमीन के तो नापी होगी नहीं और नापी होगी नहीं, तब तक विवाद बना रहेगा । बहुत जगहों पर यह शिकायतें आती हैं । अमीनों की संख्या कम है और इसको बढ़ाना बहुत आवश्यक है और यह सचमुच एक बहुत ही, जिसको कह सकिएगा कि यह प्राथमिकता के आधार पर इसको देखा जाना है और इसी प्रकार का दिशा-निर्देश दिया गया है । कुछ उम्मीद हमको भी है, आप भी रखिए कि अब आगे कुछ रास्ता निकल जाएगा ।

श्री नन्द किशोर यादव: महोदय, इस नियुक्ति वाली बात हो गई महोदय । एक अलग प्रश्न है महोदय, नियुक्ति वाली बात में मुख्यमंत्री जी ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है । अब मुझे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है । सरकार का सारा चेहरा सामने आ गया महोदय ।

मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं । महोदय, दूसरी बात पूछना चाहता हूं। महोदय, 300 अमीन संविदा पर बहाल किए गए थे । अभी माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि 200 संविदा पर लोग काम कर रहे हैं । महोदय, मेरे पास जो जानकारी है, समय पर इनका संविदा का विस्तार सेवा विस्तार नहीं हुआ, इसके कारण से महोदय, साल-डेढ़ साल से इनको पैसा नहीं मिल रहा है महोदय और ये काम छोड़ना चाहते हैं । मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि क्या यह बात सही है कि अमीनों का समय पर

सेवा विस्तार नहीं होने के कारण अमीनों को पैसा नहीं मिल पा रहा है, इस कारण वे काम छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जी इसको तो देखवा लीजिए । ये कह रहे हैं कि जो संविदा पर काम कर रहे हैं, टेक्निकली विस्तार नहीं हुआ और उनको पैसा नहीं मिलता है ।

श्री(डॉ0)मदन मोहन झा,मंत्री: ठीक है, दिखवा लेते हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या 2973 (डॉ0 सुनील कुमार)

श्री(डॉ0)मदन मोहन झा,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, समय चाहिए ।

अध्यक्ष : समय चाहिए ।

तारांकित प्रश्न संख्या 2974 (श्री अनिल सिंह)

श्री महेश्वर हजारी,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि हिसुआ प्रखंड के पांचू तालाब का सौंदर्यीकरण कार्य 42,09,500/-रूपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति जिला पदाधिकारी के ज्ञाप संख्या-24 दिनांक 12.4.2016 के द्वारा दी गई थी जिसके आलोक में निविदा की प्रक्रिया अपनाते हुए संवेदक का चयन किया गया एवं कार्यपालक अभियंता, डूडा, नवादा के पत्रांक 310 दिनांक 16.8.2012 एकरारनामा करने हेतु पत्राचार किया गया परंतु संवेदक एकरारनामा हेतु उपस्थित नहीं हुए जिसके आलोक में कार्यपालक अभियंता, डूडा, नवादा के पत्रांक 243 दिनांक 9.7.2015 द्वारा चयनित संवेदक का कार्य आवंटन रद्द कर दिया गया । इसके पश्चात् योजना के कार्यान्वयन हेतु पुनः निविदा नहीं की गई । इस संबंध में कार्यपालक अभियन्ता, डूडा, नवादा से कर्त्तव्य में लापरवाही हेतु विभागीय पत्रांक 2379 दिनांक 29.3.2017 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया है । स्पष्टीकरण प्राप्त होने के पश्चात अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी ।

श्री अनिल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि 42 लाख रूपया 2012-13 की राशि थी और 2013-14 की राशि 22 लाख रूपया, कुल 65 लाख रूपया थी और मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के तहत सौंदर्यीकरण पर 25 प्रतिशत की राशि खर्च की जानी थी । उसके तहत उस योजना का चयन हुआ था महोदय और बार-बार प्रभारी मंत्री के नेतृत्व में जो बैठक होती है संचालन समिति की, बार-बार इन बातों को उठाये जाने के बावजूद भी विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई । प्रतिवेदन में जो प्रतिवेदित किया गया है, वह भी गलत है। 42 लाख बता रहे हैं माननीय मंत्री महोदय जबकि वहां 65 लाख रूपए पड़े हुए हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि जो 65 लाख रूपए पड़े हैं उस सौंदर्यीकरण के कार्य का, आज जबकि उसकी स्वीकृति राशि बढ़ गई है तो तकनीकी स्वीकृति आपके स्तर पर, मुख्यालय स्तर पर होनी

है और प्रशासनिक स्वीकृति कमिश्नरी स्तर पर होनी है । तो क्या उस कार्य को करते हुए उस सौंदर्यीकरण का कार्य कराने का विचार रखते हैं ?

श्री महेश्वर हजारी,मंत्री: महोदय, माननीय सदस्य का जो कहना है, विभागीय संकल्प संख्या-1288 दिनांक 25.2.2016 द्वारा मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण योजना प्रारंभ की गई । उक्त संकल्प के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 में मुख्यमंत्री नगर विकास योजना समाप्त हो गया था महोदय । उसी में माननीय सदस्य का एक अल्पसूचित प्रश्न आया था । उसमें हमने आश्वासन दिया था कि अल्पसूचित के संदर्भ में दिए गए आश्वासन के आलोक में विभाग द्वारा मुख्यमंत्री नगर विकास योजना अंतर्गत जिलास्तरीय संचालन समिति द्वारा स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी । महोदय, जब हो जाएगा स्वीकृति, उस पर कार्रवाई करके करा देंगे काम को ।

अध्यक्ष: ठीक है ।

श्री अनिल कुमार : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष: हो तो गया । उन्होंने कहा है कि आगे की कार्रवाई करेंगे ।

टर्न : 06/ कृष्ण/30.03.2017

<u>तारांकित प्रश्न संख्या : 2975 (श्री अमरनाथ गामी)</u>

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, क. आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि दरभंगा जिला के बहेरी प्रखंड अन्तर्गत बिठौली ग्राम में विभाग द्वारा न तो जलापूर्त्ति योजना निर्मित है और न ही निर्माणाधीन है। इस पंचायत की जनसंख्या 2011 की जणगणना के अनुसार 8,448 है । विभाग द्वारा वर्तमान में प्रश्नाधीन ग्राम में 75 चापाकल निर्मित है, जिन से जलापूर्त्ति की जा रही है । इस पंचायत में दो वार्ड आर्सेनिक प्रभावित हैं, जिन में हर घर नल का जल कार्यक्रम के अन्तर्गत दो वार्ड में वर्ष 2017-18 में विभाग द्वारा योजना का निर्माण कराये जाने का लक्ष्य है । शेष 10 वार्डों में 14वें वित्त आयोग एवं पंचम् राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होनेवाली निधि से पंचायत के सहयोग से जलापूर्त्ति योजना पूर्ण किया जाना है ।

श्री अमरनाथ गामी : महोदय, 2008-09 में योजना शुरू हुई, बीच-बीच में जल की जांच की जाती है, पाईप लाईन बिछा हुआ है और माननीय मंत्री कह रहे हैं कि विभाग की योजना ही नहीं है तो हम जानना चाहते हैं कि किस विभाग की योजना है ? जलापूर्त्ति के लिये 5 कट्ठे में प्लांट लगा हुआ है ।

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : महोदय, जैसाकि मैंने बताया, जिस गांव की चर्चा की गयी है प्रश्न में, वहां 75 चापाकल निर्मित है, जिन से जलापूर्त्ति की जा रही है । इस पंचायत में दो

वार्ड आर्सेनिक प्रभावित है, जिस में हर घर नल का जल योजना हमारी है, उस के तहत आगे निर्माण कराने का लक्ष्य है । शेष 10 वार्डों में 14वें वित्त आयोग से काम होगा पंचायत के माध्यम से ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य ने सिर्फ इतना कहा है कि बिठौली ग्राम में पाईप लाईन बिछा हुआ है । जो पाईप लाईन बिछा हुआ है, माननीय सदस्य का प्रश्न उस के संबंध में है कि उस से लोगों को पानी नहीं मिल रहा है । उसकी कोई जानकारी है ?

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : महोदय, इसको देखवा लेते हैं ।

श्री अमरनाथ गामी : अध्यक्ष महोदय, विभाग गलत सूचना दे रहा है । इसकी जांच कोई जांच कमिटी बनाकर करा लिया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप से भी संपर्क कर लेंगे ।

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : जी अच्छा ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 2976 (श्री मो0 तौसीफ आलम)

श्री मदन सहनी,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि किशनगंज जिलान्तर्गत गत खरीद विपणन वर्ष 2015-16 में पैक्सों द्वारा किसानों से क्रय किये गये 22000 मे0टन धान की संपूर्ण मात्रा का 67 प्रतिशत दर से 14,662 मे0 टन सी0एम0आर0 तैयार कर राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध करा दिया गया था । खरीफ विपणन मौसम 2016-17 में पैक्सों के द्वारा दिनांक 25.03.2017 तक 16,192 मे0टन धान का क्रय किया गया है, जिस में दिनांक 25.03.2017 तक 8,595 मे0टन धान का समानुपातिक 5,759 मे0टन सी0एम0आर0 राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध करा दिया गया है ।

श्री मो0तौसिफ आलम : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि क्वेश्चन के बाद खरीद चालू हुआ है। वहां का डिस्ट्रीक्ट पैक्स चेयरमैन से 1 ट्रक के हिसाब से 10 हजार, 12 हजार रूपया लेता है तभी वहां लेता है । जो पैक्स चेयरमैन पैसा नहीं देता है, उस के चावल को या तो खराब बता देता है या किसी कारणवश उसको हटा दिया जाता है । भ्रष्टाचारी वहां के डिस्ट्रीक्ट मैनेजर द्वारा खुलेआम हो रहा है । 8 दिन पहले वहां हंगामा भी हुआ था।

अध्यक्ष : आप का प्रश्न है किशनगंज जिला के पैक्स से धान नहीं खरीदा जा रहा है, मंत्री ने आंकड़े दिये हैं कि 25 मार्च तक ही 16 हजार मे0टन से अधिक चावल खरीदा गया है, इस पर आप का क्या पूरक प्रश्न है ? वह सब सूचना आप अलग से जो दे रहे हैं, वह सब आप मंत्री जी को दे दीजियेगा । अगर इस के संबंध में कोई पूरक है तो वह पूछिये ।

श्री मो0तौसीफ आलम : जांच करवा लिया जाय न ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 2977 (श्री अमरनाथ गामी)

श्री तेज प्रताप यादव,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हायाघाट प्रखंडान्तर्गत नीलगायों द्वारा किसानों की फसल क्षति आधारित सूचना प्राप्त नहीं है । किसानों से फसल क्षति का दावा प्राप्त होने पर सहायता राशि का भुगतान किया जाता है ।

श्री अमरनाथ गामी : महोदय,मेरा स्पष्ट मानना है और मेरे क्षेत्र दौरा के क्रम में बराबर यह शिकायत मिली है कि नीलगाय फसल चर जाता है और विभाग जानकारी दे रहा है कि इस की सूचना नहीं है । विभागीय मंत्री दूसरे अधिकारी से जांच करवा लें और वहां जो नीलगाय या वन सुअर फसल चर जाते हैं, उस के नुकसान की भरपाई कब तक करवा देंगे ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप यह भी स्थानीय स्तर पर दिखवा लीजिये कि अगर फसल का नुकसान होता है तो उस का एक विधिवत् प्रतिवेदन जिला प्रशासन या जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार को भेजा जाता है कि नहीं यह भी देखने की बात है ।

श्री अमरनाथ गामी : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 2978 (श्रीमती सुनीता सिंह चौहान)

डा0मदन मोहन झा,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

समाहर्त्ता सीतामढ़ी के प्रतिवेदनानुसार प्रखंड सह अंचल, परसौनी के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु पुराने भू-अर्जन अधिनियम के आलोक में अधियाची विभाग अर्थात ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना से भू-अर्जन मद में 1,15,16,239/- रूपये की मांग की गयी थी । याचित राशि प्राप्त नहीं होने के कारण भ-ूअर्जन की कार्रवाई नहीं की जा सकी । दिनांक 1.1.2014 से नया भू-अर्जन अधिनियम,2013 प्रभावी होने के फलस्वरूप भू-अर्जन मद में संशोधित अनुमानित राशि 2,92,53,158/-रूपये ग्रामीण विकास विभाग से अप्राप्त है । राशि प्राप्त होने के उपरांत भू-अर्जन की कार्रवाई जायेगी।

श्रीमती सुनीता सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, परसौनी प्रखंड बने हुये लगभग 24 साल हो चुके हैं । परन्तु इसका अपना भवन अभी तक नहीं है । रैयती भूमि अधिग्रहण हेतु जिलाधिकारी का प्रस्ताव भी लंबित है । महोदय, मैं आप के माध्यम से सरकार से जानना चाहती हूं कि प्रस्तावित भूमि के अर्जन हेतु संबंधित पदाधिकारी को कब तक निर्देश देंगे ताकि प्रखंड-सह-अंचल भवन का निर्माण हो सके । वहां पर्याप्त मात्रा में बिहार सरकार की जमीन उपलब्ध है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या कह रही हैं कि शीघ्र निर्देशित कर के करवा दीजिये ।

डा0मदन मोहन झा,मंत्री : हो जायेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 2979 (श्री विजय कुमार दूबे)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य अनुपस्थित ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 2980 (श्री विनोद कुमार यादव)

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1. आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि गर्मी के दिनों में दक्षिण बिहार के प्रश्नाधीन जिलों में कुछ ग्रामों में जल स्तर नीचे जाता है । परन्तु इन क्षेत्रों में विभाग द्वारा इन्डिया मार्क-2 और 3 निर्मित है, जिन की पानी खींचने की क्षमता 80 फीट तक है जो भूजल स्तर नीचे जाने पर भी चालू रहता है । गर्मी के दिनों कें पेयजल की समस्या के निदान हेतु इन क्षेत्रों में अभियान चलाकर खराब, बंद हुये चापाकलों की मरम्मति कराकर पेयजल सुविधा उपलब्ध करायी जाती है । इन क्षेत्रों में पेयजल हेतु चापाकल के अतिरिक्त ग्रामीणा जलापूर्त्ति योजना, मिनी जलापूर्त्ति योजना एवं ड्वेल पम्प आधारित मिनी योजना से जलापूर्त्ति की जाती है फिर भी पेयजल की समस्या उत्पन्न होने की विशेष स्थिति में विभाग द्वारा जल टैंकर के माध्यम से भी पेयजल की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के अनुसार गया, नवादा, औरंगाबाद, सासाराम ये बिहार के सटे पठारी जिलें हैं तो दक्षिणी इलाका जो है गया जिला का, मेरा विधान सभा क्षेत्र शेरघाटी के अन्तर्गत डोभी, बाराचट्टी, आमस मेरे विधान सभा का क्षेत्र पड़ता है । वहां पर झारखंड का बोडरिंग एरिया है । प्रत्येक साल अप्रील महीने से वहां जलसंकट शुरू हो जाता है और यह बात विभाग को काफी दिनों से मालूम है कि गर्मी के दिनों में वहां पेयजल संकट होता है । इस संबंध में विभीागीय स्तर पर कई बार मीटिंग भी हुई और उस के तहत ओडेक्स मशीन, जिसमें 300 से 400 फीट की गहराई से पानी निकासी के लिये क्षमता है, विभाग ने खरीदा था बोरिंग करने के लिये ।

अध्यक्ष : तो आप का पूरक प्रश्न क्या है ?

श्री विनोद प्रसाद यादव : पूरक मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाना चाहते हैं कि जिन प्रखंडों का मैंने उल्लेख किया है, उन प्रखंडों में इन के ओडेक्स मशीन से चापाकल के लिये अब तक कितने बोरिंग किये गये हैं ?

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा,मंत्री : महोदय, मैंने विस्तार से बताया जिन जगहों की चर्चा माननीय सदस्य ने की है, हम ने खास कर के हमारे विभाग ने, चूंकि पिछले वर्षों के अनुभव हैं और कई तरह से इन्डिया मार्क-2 चापाकल लगा करके तथा जहां भीषण जलसंकट है, वहां टैंकर लगा कर के जलापूर्त्ति करायी और यह पहला अवसर है कि पिछले वर्ष गया जिला में जो पहले जलसंकट हुआ करता था, वह पिछली बार नहीं हुआ ।

क्रमश :

टर्न-7/राजेश/30.3.17

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री, क्रमशः इस बार भी हमलोग सतर्क है कि गर्मी का दिन आ गया है, हमने टॉल फ्री नम्बर भी दे दिया है और जहॉ भी जल संकट की समस्या होगी,

हमलोग पूरी तरह से सतर्क है, तमाम जगहों पर हमलोग जलापूर्ति का संकट नहीं होने देंगे और जहॉ तक चापाकल की बात इन्होंने कहा, वह हमने बताया कि कई जगहों पर हमलोगों के द्वारा चापाकल लगाये गये हैं और जो खराब पड़े है, बंद हो जाते हैं, उसको तुरत चालू करने की भी व्यवस्था हमलोगों ने कर रखी है और आपसे हम निवेदन करेंगे कि आपसे तो बराबर भेंट होती है, बात होती है, जैसे ही कहीं संकट आयेगा, तो आप व्यक्तिगत रुप से भी हमें कह सकते हैं ।

श्री विनोद प्रसाद यादवः महोदय, मेरा स्थिति स्पष्ट नहीं हो रहा है, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना यह चाहा कि इन्होंने ओडेक्स मशीन उन इलाकों में .....

(व्यवधान)

अध्यक्षः उन्होंने व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए कहा है ।

श्री विनोद प्रसाद यादवः महोदय, इनका मशीन काफी दिनों से खरीदा हुआ है लेकिन इनके अधिकारी मशीन खरीदने के बावजूद वहॉ पेयजल उपलब्ध नहीं करा रहे हैं तो क्या माननीय मंत्री जी वैसे अधिकारियों को चिन्हित करके उनपर कार्रवाई करेंगे और उन इलाकों में ओडेक्स मशीन से काम कराना चाहेंगे ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, ओडेक्स मशीन की जो चर्चा की है, तो उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और इनको जानकारी उपलब्ध करा देंगे ।

अध्यक्षः अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों, उन्हें सभा पटल पर रख दिये जाएं ।

श्री भाई वीरेन्द्रः अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गंभीर सवाल है .....

(व्यवधान)

अध्यक्षः भाई वीरेन्द्र जी, एक मिनट सुनिये तो । आप कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं का निस्तारण हो जाने दीजिये.....

(व्यवधान)

श्री भाई वीरेन्द्रः महोदय, बहुत ही गंभीर सवाल है .....

अध्यक्षः इसी लिए न कह रहे हैं हम ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव

अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 30.03.2017 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं:

श्री संजय सरावगी, श्री मिथिलेश तिवारी, श्री विजय कुमार खेमका, श्री केदार प्रसाद गुप्ता, श्री विद्यासागर केशरी, श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, श्री अशोक कुमार सिंह, श्री ललन पासवान, श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव, श्री विनोद कुमार सिंह, श्री जिवेश कुमार, श्रीमती बेबी कुमारी और श्री राणा रणधीर ।

आज सदन में राजकीय विधेयक का कार्यक्रम निर्धारित है । अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-47 (ख) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण सभी कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को अमान्य किया जाता है । अब शून्यकाल ।

(व्यवधान)

आप लोग एक-एक करके बोलिये ।

श्री भाई वीरेन्द्रः महोदय, बी0जे0पी0 और एन0डी0ए0 का चाल, चरित्र और चेहरा उजागर हुआ है, ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, अपने में घालमेल क्या कर रहे हैं, किसका चरित्र हनन कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, इसलिए हुजूर इस पर बी0जे0पी0 के नेता बयान दें ।

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दलः अध्यक्ष महोदय, राज्य के सभी कर्मचारीगण जो हैं, उनको सातवॉ वेतन लागू नहीं हुआ है और महोदय राज्य के लाखों होमगार्ड के जवान, शिक्षक, हजारों वित्त रहित शिक्षक, रसोईया, आशा कार्यकर्ता, ऑगनबाड़ी सेविका, जीविका, साक्षरता, प्रेरक समन्वयकों को शिक्षकों का दर्जा देने और प्रखंड प्रमुख के मांगों का समर्थन आदि पर सरकार का वक्तव्य हो । केन्द्र सरकार ने जो सातवॉ वेतन के लिए सिफारिश की है 2016 में, सरकार इसको कब से लागू करना चाहती है, होमगार्ड के जवान हड़ताल पर है, शिक्षक हड़ताल पर है, वित्तरहित शिक्षक आज हड़ताल पर है और सारे लोग हड़ताल पर है, शिक्षक समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग कर रहे हैं, सारे राज्यों ने सातवॉ वेतन को लागू कर दिया लेकिन राज्य सरकार सातवॉ वेतन लागू नहीं कर रही है, इसलिए हम सरकार से मांग करेंगे कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों को सातवॉ वेतन लागू हो तथा संविदा पर बहाल जो लाखों कर्मचारी हैं, सरकार ने चुनाव के वक्त कहा था कि हम नियमित करेंगे .....

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण कुछ कहते हुए वेल में आ गये)

(व्यवधान)

अध्यक्षः सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि आपलोग अपना-अपना स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दलः महोदय, ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका, जीविका, साक्षरता, प्रेरक, समन्वयक, शिक्षक आज हड़ताल पर हैं, इसलिए सरकार उनको बुला करके वार्ता करें, होमगार्ड के जवानों का बकाया 28 करोड़ रुपया 2000 से ही है, सरकार बुला करके शिक्षकों से होमगार्ड जवानों से सम्मान पूर्वक तरीके से वार्ता करें और सातवॉ वेतन अविलंब सरकार लागू करें ।

अध्यक्षः हो गयी बात । अब बैठ जाइये । अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

<u>शून्यकाल</u>

(व्यवधान जारी)

श्री अशोक कुमार सिंह: महोदय, बिहार राज्य में वर्ष 2017 में खरीफ फसल में किसानों की फसल बाढ़ से मारी गई है । जो किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा के अन्तर्गत बीमा कराएं है, उन किसानो को बीमा का लाभ नहीं मिला है, मैं सरकार से बीमा लाभ किसानों को दिलाने का मांग करता हूँ ।

श्री फैसल रहमान: महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के चैनपुर थाना काण्ड सं0 34/17 के अभियुक्त अम्बिका सिंह पिता- महादेव सिंह ने 23/03/2017 को अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ मार-पीट, पैसा छिनना और इनके द्वारा गोली भी चलाई गई । ऐसे दोषी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का माँग करता हूँ ।

डॉ0 राजेश कुमार: महोदय, मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत साहेबगंज थाना काण्ड संख्या 215/16 में मुन्ना प्रसाद, अवधेश प्रसाद, अकबर मियाँ का एफ0आई0आर0 में अभियुक्त नही थे, पर साजिश के तहत सुपरवीजन में इन लोगों को अभियुक्त बना दिया गया । इसका उच्चस्तरीय जाँच कराने का माँग करता हूँ ।

श्री ललन पासवान: महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत एन0एच0-2सी0 डेहरी-यदुनाथपुर पथ में एक करोड़ पच्चीस लाख रू0 सड़क मरम्मति के लिए आवंटन किया गया, लेकिन संवेदक ने मरम्मति कार्य अधूरा और घटिया किया ।

सरकार से मांग करते हैं कि उक्त सड़क के घटिया कार्य की जाँच कराकर संवेदक पर कार्रवाई करें ।

श्री अचमित ऋषिदेव: महोदय, अररिया जिलान्तर्गत भरगामा प्रखंड के खुटहा बैजनाथपुर पंचायत के ग्राम खुटहा वार्ड नं0 11 में एक हजार एकड़ कृषि योग्य भूमि को जलजमाव से मुक्त करने के लिए JBC नहर में 135 RD के पास साईफन निर्माण करने की माँग मैं सरकार से करता हूँ ।

श्री आनन्द शंकर सिंह: महोदय, औरंगाबाद अवस्थित शाश्वत एग्रो आटा मिल से 24/3/2017 को चार ट्रक गेहूँ पकड़ा गया । गरीबों को बाँटने वाले खाद्यान्नों की काला बाजारी ट्रान्सपोर्टर एवं पदाधिकारियों की मिलीभगत से विगत् कई वर्षों से किया जा रहा है ।

अत: आग्रह है कि उक्त घटना की जाँच निगरानी विभाग द्वारा करवायी जाये ।

डॉ0 मो0 नवाज आलम: महोदय, भोजपुर जिला अन्तर्गत आरा के विधान सभा क्षेत्र में चँदवा से गांगी बाँध पर मिट्टी डालने का कार्य प्राक्कलन के विरूद्ध किया जा रहा है । कार्य कि गुणवता सही नहीं है ।

मैं सदन से इसकी जाँच कराने की माँग करता हूँ ।

श्री नीरज कुमार: महोदय, बिहार राज्य के कटिहार एवं पूर्णिया जिले के सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के खाते में अभी तक पेंशन की राशि नहीं भेजा गया है, सभी पेंशनधारी के खाते में इसी वित्तीय वर्ष में राशि भेजने की मांग करता हूँ ।

इससे उक्त जिले के गरीब व्यक्तियों को लाभ होगा ।

टर्न-8/सत्येन्द्र/30-3-17

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आप अपनी जगह पर जाईए न । अभी श्यामबाबू प्रसाद यादव जी का शून्यकाल है, वे पढ़ नहीं पायेंगे । आसन चाहता है कि आप सब लोग अपनी अपनी सूचना पढ़िये ।

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव ।

(शून्यकाल नहीं पढ़ा गया)

श्री मो0 नेमातुल्लाह: अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में सार्वजनिक स्थल बस स्टैंड, टेम्पु में भोजपुरी अश्लील गाना बजाये जाने से महिलाओं एवं बुद्धिजीवी वर्ग सहित आमजनों को शर्मसार होना पड़ता है । अत: लोकहित में सभ्य समाज बनाने हेतु सरकार भोजपुरी अश्लील गाना पर शीघ्र रोक लगाये ।

डॉ0 विनोद प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, गया जिलान्तर्गत मो0 नईम, पिता मुस्तकिम एवं मो0 उमर, पिता-मो0 नईम दोनों साकिन बंगलापुर, थाना बाराचट्टी की मृत्यु प्रखंड डोभी पिपरघट्टी निलकंठ होटल के पास सड़क दुर्घटना में दिनांक 15-6-15 को हो गयी थी । मृतकों के आश्रितों को आजतक आपदा राहत कोष से भुगतान नहीं किया गया है ।

श्री समीर कुमार महासेठ: अध्यक्ष महोदय, इंडोर तथा आउट डोर स्टेडियम के अभाव में मुधबनी जिला में क्रीड़ा संस्कृति का विकास नहीं हो रहा है जबकि विभिन्न खेलों के प्रति यहां के युवाओं में जर्बदस्त रूचि है । अत: मधुबनी जिला के पंडौल में इंडोर तथा आउटडोर स्टेडियम का निर्माण कराया जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, हरसिद्धि विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत सेवरांहा चौक एस0एच0 रोड से कृतपुर आर0डब्लू0डी0 रोड तक जाने वाली आर0डब्लू0डी0 रोड बिल्कुल खराब हो चुकी है जिसके कारण आवागमन बन्द होने की स्थिति में है । अत: सरकार उक्त रोड को प्राथमिकता प्रदान कर अविलम्ब जनहित में मरम्मति करावे ।

श्री सत्यदेव राम: अध्यक्ष महोदय, महिला स्वास्थ्य का सवाल एक महत्वपूर्ण सवाल है लेकिन राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर महिला डॉक्टरों का घोर अभाव है । हमारी मांग है कि राज्य के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तत्काल महिला डॉक्टरों की नियुक्ति की जाय।

श्री महबूब आलम: अध्यक्ष महोदय, TET-STET परीक्षा से नियुक्त शिक्षक समान काम के लिए असमान वेतन की मांग पर 27 मार्च से अनशन पर है । उनकी मांगों पर कार्रवाई की

बजाए उन पर लाठियां चलायी गयी कई की हालत गंभीर हो गयी है । उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई करते हुए अनशन खत्म कराया जाय ।

श्री सुदामा प्रसादः अध्यक्ष महोदय, सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार होमगार्ड जवान पुलिसकर्मी का दर्जा समान वेतन व अन्य सुविधाओं के लिए आंदोलनरत है, इसी सवाल पर हजारों की संख्या में 28 मार्च को पटना में प्रदर्शन किया । मैं मांग करता हूॅ कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में उनकी मांगों पर कार्रवाई की जाय ।

अध्यक्षः श्री विनोद कुमार सिंह ।

(शून्यकाल नही पढ़ा गया)

श्री अत्री मुन्नी उर्फ शक्ति सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, नालंदा जिलान्तर्गत हिलसा प्रखंड के लहराडाक आर0ई0ओ0 पथ से पकड़िया बिगहा तक जाने वाली पथ पूर्ण रूप से कच्ची है । जिसके कारण आम लोगों को पथ का लाभ नहीं मिल रहा है । अतः उक्त गांव पकड़िया विगहा को सम्पर्कता प्रदान करने की मांग सरकार से करता हूॅ ।

अध्यक्षः श्री संजय सरावगी ।

(शून्यकाल नहीं पढ़ा गया)

श्री सुबोध रायः अध्यक्ष महोदय, कृषि कार्य में सुविधा हेतु किसानों के व्यापक हित में भागलपुर जिलान्तर्गत जगदीशपुर प्रखंडान्तर्गत अंगारी गांव में बजरंगी यादव खेत के पास कौकरा नदी पर 60 फीट पुलिया निर्माण करा देने की मांग सरकार से करता हूॅ ।

श्री मुन्द्रिका सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, जहानाबाद नगर परिषद के शहीद भगत सिंह मार्ग वाली सड़क पक्कीकरण नहीं होने से इस पर शहर का गंदा पानी लगा रहता है, फलस्वरूप आम जनता को कठिनाई का सामना करना पड़ता है । अतः इस गंभीर विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रश्नाधीन सड़क का पक्कीकरण की मांग करता हूॅ ।

श्री विरेन्द्र कुमार सिन्हाः अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत दाउदनगर प्रखंड को नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त है । नागरिकों द्वारा पटना उच्च न्यायालय में नगर परिषद के लिए अपील किया था । न्यायालय नगर पंचायत को नगर परिषद का दर्जा देने का निर्णय सुनाया है । मैं दाउदनगर को नगर परिषद बनाने हेतु सरकार से निवेदन करता हूॅ ।

अध्यक्षः मा0स0 श्री राणा रणधीर ।

(शून्यकाल नहीं पढ़ा गया)

सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवानः अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड कांड संख्या- 198/2016 में अस्पताल में चिकित्सकों की लापरवाही से मृतका के पुत्र एवं परिजनों को झूठे मुकदमें में फंसाने, मृतका के आरोपियों के द्वारा मृतक के परिजनों, गवाहों को झूठे मुकदमें में फंसाने की जांच की मांग करती हूॅ ।

श्री सीताराम यादवः अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिलान्तर्गत जयनगर प्रखंड स्थित डोरबार गांव के करीब 150 परिवारों का घर कमला नदी में आये बाढ़ में कटाव के कारण नदी के गर्भ में समा गया है । अतः उक्त वर्णित गांव के 150 परिवारों को पुनर्वासित करावे ।

श्रीमती बेबी कुमारीः अध्यक्ष महोदय, पटना शहर में अवस्थित गर्दनीबाग अस्पताल के चिकित्सकों एवं चिकित्सेतर कर्मियों को चार महीने से वेतन नहीं मिला है । चिकित्सकों एवं चिकित्सेतर कर्मियों में हाहाकार है । अतः चिकित्सकों एवं चिकित्सेतर कर्मियों के लंबित वेतन का भुगतान अविलम्ब किये जाने की मांग करती हूँ ।

अध्यक्षः मा0स0श्री मिथिलेश तिवारी ।

(शून्यकाल नहीं पढ़ा गया)

मा0स0श्री केदार प्रसाद गुप्ता ।

(शून्यकाल नहीं पढ़ा गया)

मा0स0श्री विजय कुमार खेमका ।

(शून्यकाल नहीं पढ़ा गया)

मा0स0श्री विद्या सागर केसरी ।

(शून्यकाल नहीं पढ़ा गया)

मा0स0श्री जिवेश कुमार ।

(शून्यकाल नहीं पढ़ा गया)

श्री संजय कुमार तिवारीः अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के साक्षरता प्रेरकों को बिहार सरकार के पत्रांक संख्या 6882/15 के संविदा के आधार पर नियोजित सभी कर्मियों को नियमित करने का आदेश दिया था । प्रेरकों/समन्वयकों को आज तक नियमित नहीं किया गया । मैं सरकार के प्ररकों/समन्यवकों को नियमित करने की मांग करता हूँ ।

अध्यक्षः मा0स0श्री अनिल सिंह

(शून्यकाल नहीं पढ़ा गया)

अध्यक्षः शून्यकाल समाप्त हुआ । ध्यानाकर्षण सूचनाएं ।

(व्यवधान जारी)

ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उस पर सरकारी वक्तव्य

श्री रामदेव राय,स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा सरकार (शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य।

श्री अशोक चौधरी, मंत्रीः बिहार कॉलेज सेवा आयोग को राज्य सरकार द्वारा दिनांक 19-4-2007 को निरसित किया गया । बिहार राज्य विश्वविद्यालय(संशोधन) अधिनियम, 2007 में संबद्धता प्राप्त डिग्री महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर चयन समिति गठित करने का प्रावधान किया गया । पुनः बिहार राज्य विश्वविद्यालय(संशोधन)

अधिनियम, 2013 में संबद्धता प्राप्त डिग्री महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु चयन समिति गठित करने का प्रावधान किया गया है जो वर्त्तमान में भी प्रभावी है ।

बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन)अधिनियम, 2015 में वर्णित प्रावधान के अनुसार-

इस अधिनियम के अधीन रहते हुए चयन समिति संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों में दिनांक 19-4-2007 के पूर्व बिहार कॉलेज सेवा आयोग की अनुशंसा के बगैर नियुक्त शिक्षकों के मामले की समीक्षा ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति के समय लागू अर्हत्ता के आधार पर दिनांक 31-3-2017 तक पूरी कर लेगी अन्यथा ऐसी नियुक्तियां वैध नहीं मानी जायेगी । तत्पश्चात् महाविद्यालय के शासी निकाय चयन समिति द्वारा अनुशंसित नामों को स्वीकार करेगी जिसे संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित किया जायेगा ।

दिनांक 31-3-17 तक राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान की राशि का वितरण संबंधित संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के बीच उनकी शासी निकाय के द्वारा किया जायेगा । दिनांक 19-4-2007 के बाद नियुक्त शिक्षकों के मामले में बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन)अधिनियम, 2013 में वर्णित प्रावधान के अनुसार कार्रवाई की जायेगी ।

श्री रामदेव राय: महोदय, मैं आसन के माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा कि संविधान की धारा 14 में वर्णित है कि The state shall not deny to any person equality before law or the equal protection of the law within the territory of india.

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: रामदेव बाबू, जरा माईक पर ठीक से बोलिये ।

श्री रामदेव राय: महोदय, मैं आसन के माध्यम से सरकार को अवगत भी कराना चाहता हूँ और जानना भी चाहता हूँ कि ये संविधान की धारा 14 का घोर उल्लंघन है । संविधान की धारा 14 में उल्लिखित है: The state shall not deny to any person equality before law or the equal protection of the law within the territory of India. और सरकार इसके मातहत काम नहीं कर हुजूर, 14-8-2013 को ये 1976 के संशोधन को गजट में सुधार कर 2013 के अधिनियम के द्वारा पूर्व के धारा 57 ए के स्थान पर नया धारा 57(ए) प्रतिष्ठापित किया । (क्रमश:)

टर्न-9/मधुप/30.03.2017

...क्रमश: ....

श्री रामदेव राय : जिसमें प्रावधान किया गया कि अंगीभूत महाविद्यालयों के शासी निकाय और प्राचार्य/प्राध्यापक शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकालकर और चयन समिति का गठन कर उसके अनुसंशा पर समिति के द्वारा उनकी नियुक्ति होगी । हुजूर, मैं जानना चाहता हूँ, उस ऐक्ट में भी पुन: 27.8.2015 को संशोधन कर 57 (ए) में नया उपधारा

(6) जोड़ा गया जिसके तहत इसमें लिखा गया है कि 19.4.2007 के पूर्व जो शिक्षक नियुक्त हैं उन्हीं को चयन प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है ।

महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि यह सर्वोच्च मान्यता प्राप्त कानून है कि जब से अधिनियम लागू होगा तभी से प्रभावी होगा, जो अधिनियम 2013 में लागू किया गया और उसमें भूतलक्षी प्रभाव 2007, फिर उसमें 2015 जोड़ा गया । तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि 2007 के बाद और 2015 तक जो शिक्षक नियुक्त हैं वह विधिवत् हैं कि नहीं, सरकार उन्हें विधिवत् मानती है कि नहीं ?

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा बिहार कॉलेज सेवा आयोग को दिनांक 19.4.2007 को निरसित करने के उपरान्त राज्य के सम्बद्ध डिग्री महाविद्यालयों में शिक्षक की नियुक्ति हेतु बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2007 में विश्वविद्यालय स्तर पर चयन समिति गठित करने का प्रावधान किया गया है । पुनः बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013 में सम्बद्ध डिग्री महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु चयन समिति गठित करने का प्रावधान किया गया है, जो वर्त्तमान में भी प्रभावी है । बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2015 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सिर्फ ऐसे मामले जिन शिक्षकों की नियुक्ति में कॉलेज सेवा आयोग की अनुशंसा प्राप्त नहीं है, की समीक्षा कर दिनांक 31.3.2017 तक चयन समिति द्वारा अनुशंसा एवं महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित करने का प्रावधान किया गया है । इस अवधि को एक वर्ष यानी 31.3.2018 तक समयावधि के विस्तार हेतु मामला राज्य सरकार के अधीन प्रक्रियाधीन है ।

श्री रामदेव राय : महोदय, मैं स्पष्ट रूप से माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा कि ये स्वयं जानते हैं कि सीमारेखा 19.4.2007 तय कर दिया, उसके पूर्व जो शिक्षक नियुक्त होंगे, वही चयन प्रक्रिया में शामिल होंगे लेकिन विश्वविद्यालय के पत्रांक CR-9/12 दिनांक 5.1.2012 के द्वारा 26.3.2008 तक स्वीकृत एवं अनुशंसित पदों के विरूद्ध नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों के बीच अनुदान की राशि सरकार के आदेश से बॉटी गई । क्या ये शिक्षक उस दिन वैध माने जायेंगे या नहीं ? अगर उस दिन वैध माने जाते हैं तो 2007 के बाद के शिक्षक की वैधता पर क्यों प्रश्नचिन्ह खड़ा किया जा रहा है ? हजारों शिक्षक बेरोजगार हो जायेंगे, पेट बांधकर जो इतने दिनों तक कार्य किये हैं, उनके भविष्य के लिये सरकार क्या सोच रही है ?

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, जो महाविद्यालय हैं, जो प्राइवेट महाविद्यालय हैं शासकीय निकाय उनको करती है, बार-बार शासकीय निकाय अपने फार्मूला को यूज गवर्नमेंट के नियम के अनुसार करती है कि नहीं, इसका काम यूनिवर्सिटी देखती है । यूनिवर्सिटी एप्रुव करती है उसके बाद हमलोग एप्रुव करके उसको देते हैं । नहीं तो यह तो सतत् प्रक्रिया बहाल करने का, वह करती रहेगी । कहीं न कहीं नॉर्म्स को तो कम से कम राज्य सरकार

देखेगी, जिसको अनुदान देती है कि कहाँ पर उन्होंने नॉर्म्स को पूरा किया कि नहीं किया, अर्हत्ता को पूरा किया कि नहीं किया । उसका काम यूनिवर्सिटी का है, यूनिवर्सिटी उसको देखती है, उसके बाद हमलोग अनुदान देते हैं ।

श्री रामदेव राय : महोदय, मैंने बिल्कुल स्पष्ट पूछा है कि 2007 के बाद के जो नियुक्त शिक्षक हैं, जिन्हें अनुदान की राशि मिली है, जो विधिवत् प्रक्रिया से बहाल शिक्षक थे, क्या उनके बारे में 31.3.2017 की सीमा को बढ़ाते हुये उन्हें भी चयन समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपनी वैधता के लिये प्रमाणित करने का अवसर सरकार देना चाहती है कि नहीं?

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : हमने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि बिहार राज्य विश्वद्यिालय (संशोधन) अधिनियम, 2015 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सिर्फ ऐसे मामले जिन शिक्षकों की नियुक्ति में बिहार कॉलेज सेवा आयोग की अनुशंसा प्राप्त नहीं है, की समीक्षा कर दिनांक 31.3.2017 तक चयन समिति द्वारा अनुशंसा एवं महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित करने का प्रावधान किया गया है । इस अवधि को एक वर्ष यानी 31.3.2018 तक समयावधि के विस्तार हेतु मामला राज्य सरकार के प्रक्रियाधीन है ।

श्री रामदेव राय : हुजूर, मैं आसन से प्रोटेक्शन चाहता हूँ कि 31.3.2017 को चयन समिति की प्रक्रिया समाप्त हो जायेगी, उसके बाद इन शिक्षकों को कोई मौका नहीं मिलेगा । मैं जानना चाहता हूँ कि 19.4.2007 से 2015 तक इनको कोई मशीनरी नहीं थी, कोई कमीशन नहीं था, कोई आयोग नहीं था और इस बीच में जो तदर्थ कमिटी, शासी निकाय जो ऑटोनोमी के रूप में काम करती है और उसके द्वारा जो विधिवत् नियुक्त किये गये शिक्षक, उन शिक्षकों के भविष्य के लिये क्या सरकार 31.3.2017 के बाद कोई डेट तय करके उन्हें भी चयन प्रक्रिया में शामिल करने का विचार रखती है ?

अध्यक्ष : रामदेव बाबू, सरकार ने कहा है कि 31.3.2017 को 31.3.2018 तक बढ़ाने का ये विचार कर रहे हैं । यह तो इन्होंने कहा है 31.3.2018 तक ।

(वेल में नारेबाजी और व्यवधान जारी)

श्री सुबाष सिंह, स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर
सरकार (शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष : श्री सुबाष सिंह, ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ें । श्री सुबाष सिंह ।

(ध्यानाकर्षण सूचना नहीं पढ़ी गई)

सर्वश्री अमर नाथ गामी, समीर कुमार महासेठ एवं अन्य दो सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (कृषि विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री अमरनाथ गामी : महोदय, राज्य में कृषि बाजार समिति का विघटन वर्ष 2005 में हुआ था । वर्त्तमान में राज्य के कृषि बाजार समिति शिवधारा दरभंगा, हाजीपुर, सासाराम,

बिहारशरीफ, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, गुलाबबाग, पटना सहित सभी बाजार समिति प्रांगणों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है । बाजार प्रांगणों, सड़क, सीवरेज के पानी का निकास एवं जलापूर्त्ति पाईप सभी ध्वस्त हो गये हैं । व्यापारी, किसान एवं मजदूर को आने-जाने में कठिनाई हो रही है । बाजार प्रांगण की चहारदिवारी टूट गयी है, जिससे पूरा परिसर असुरक्षित है ।

अत: राज्य के सभी बाजार समिति प्रांगणों की सड़क, नाली एवं जलापूर्त्ति पाईप का पुनर्निर्माण कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

श्री रामविचार राय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कृषि उत्पादन बाजार समितियों के विघटन के बाद इनके चरणबद्ध बेहतर प्रबंधन और विकास के लिए योजनाएँ विभाग के स्तर पर बनाई जा रही है ।

प्रथम चरण में कृषि उत्पादन बाजार समिति (विघटित) गुलाबबाग(पूर्णिया), दरभंगा और मुजफ्फरपुर को लिया गया है । इस दिशा में बाजार प्रांगण के टूटे हुये संरचनाओं के पुनर्रूद्धार के लिए भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार को विभाग के पत्रांक 377 दिनांक 27.2.2017 द्वारा अनुरोध किया गया है । इसमें नये स्वरूप में दुकान, दुकान-सह-गोदाम, प्रशासनिक भवन, पथ, नाला, चाहरदिवारी, दर-सूचना बोर्ड, इत्यादि मूलभूत सुविधाओं सहित संरचनाओं का निर्माण अगले वित्तीय वर्ष 2017-18 में किया जायेगा ।

विभाग द्वारा बाजार प्रांगणों के टूटे हुये चाहरदिवारी के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य कोष से दस करोड़ रूपये निधि का आवंटन पत्रांक 3300, दिनांक 27.7.2016 और 584, दिनांक 07.2.2017 द्वारा किया गया है । इनमें बाजार प्रांगण बिहटा, सासाराम, नोखा, मोहनिया, पटना सिटी, नटवार, बिहारशरीफ, चनपटिया, नरकटियागंज, किशनगंज, ठाकुरगंज, बहादुरगंज, कटिहार, दाउदनगर, मुंगेर, गुलाबबाग, फतुहा, जहानाबाद और मुजफ्फरपुर बाजार समितियाँ शामिल है ।

सरकार बाजार समितियों (विघटित) के पुनर्रूद्धार हेतु कृत संकल्प है और इस दिशा में चरणबद्ध योजना बनाकर कार्य किये जा रहे हैं ताकि व्यापारी, किसान एवं मजदूर को किसी प्रकार की कठिनाई बाजार प्रांगणों में कार्य करने में नहीं हो सके ।

टर्न-10/आजाद/30.03.2017

(व्यवधान)

श्री अमरनाथ गामी : अध्यक्ष महोदय, 2005 से लगातार व्यापारी किराया देते आ रहे हैं और बाजार में लगभग 10 हजार आदमी को प्रत्येक दिन आना-जाना है और 2000 के बाद वहां किसी

तरह का विकास का कार्य नहीं किया गया है, जिस कारण से सड़क की स्थिति बहुत जर्जर है । वहां के मजदूर .....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि अब सरकार चरणबद्ध तरीके से वहां पर सारी सुविधाओं को स्थापित करेगी ।

श्री अमरनाथ गामी : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी निश्चय यात्रा के दौरान विभागीय मीटिंग में आदेश दिया था कि दरभंगा बाजार समिति का सड़क, चहारदिवारी और नाला का निर्माण करा दिया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि दरभंगा बाजार समिति के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, उसको देखवा लीजिए ।

श्री राम विचार राम,मंत्री : महोदय, उसको माना गया है न ।

अध्यक्ष : उसको अलग से मांग लीजिए ।

श्री राम विचार राय,मंत्री : ठीक है, मांग लेंगे ।

श्री अमरनाथ गामी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद .....

अध्यक्ष : वही तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का आदेश है, इन्होंने कहा है कि डी0पी0आर0 मांगे हैं तब तो होगा ।

श्री अमरनाथ गामी : समय सीमा बता दें सर, बहुत ज्यादा स्थिति खराब है । समय सीमा तय कर दें।

अध्यक्ष : अगले वित्तीय वर्ष में देख लेंगे ।

श्री राम विचार राय,मंत्री : नाला के लिए इसको मान लिया गया है । दरभंगा के बारे में मांगा गया है।

अध्यक्ष : ठीक है ।

माननीय सभापति,राजकीय आश्वासन समिति ।

सभा के समक्ष प्रतिवेदनों का रखा जाना

श्री अजय कुमार मंडल,सभापति,रा0आ0स0 : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-211 के तहत मैं राजकीय आश्वासन समिति का 250वां प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

....

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । पहले विधायी कार्य लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल: महोदय, आंगनबाड़ी सेविकाओं पर लाठी चार्ज हुआ है, आप तो मना किये सरकार को कि लाठी नहीं चलाईए, लेकिन निहत्थे आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक आन्दोलन कर रही थी, उनपर सरकार ने लाठी चलाया ....

अध्यक्ष : बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक.....

(व्यवधान)

एक आदमी बोलिए ।

श्रीमती एज्या यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहती हूँ कि कल विधान परिषद् में एक महिला के साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया गया है एम0एल0सी0 द्वारा । विधान मंडल एक मंदिर है, It's a place where laws are made. यहां हम विधायक बनकर आते हैं, अगर हम लॉ बनाते हैं तो हमलोगों को लॉ एबाइंडिंग भी होना चाहिए । अगर महिला के साथ छेड़खानी होती है तो क्या महिलायें विधान मंडल के अन्दर .....

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग ।

(व्यवधान)

ललित जी, माननीय सदस्या श्रीमती एज्या यादव जी ने अपनी बात कह ली है, वह दूसरे सदन से जुड़ा हुआ मामला है । उस सदन के सभाध्यक्ष जो सभापति कहलाते हैं, उनको सारे अधिकार और शक्तियां प्राप्त हैं किसी मामले में कोई भी निर्णय ले लेने के लिए । ललित जी, विधायी कार्य चलने दीजिए ।

(व्यवधान)

<u>विधायी-कार्य</u>

<u>बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017</u>

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"बिहार राज्य विश्वविद्यालय(संशोधन) विधेयक, 2017
को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"बिहार राज्य विश्वविद्यालय(संशोधन) विधेयक, 2017
को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक,2017 पर विचार हो ।"

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122(i) के तहत माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी, श्री राणा रणधीर एवं श्री अनिल सिंह जी का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा ।

क्या माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी, अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मूव करेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : विधायी कार्य चलने दीजिए न आप लोग । संजय सरावगी जी, आप बोलिए ।

विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"बिहार राज्य विश्वविद्यालय(संशोधन) विधेयक, 2017 के सिद्धांत पर विमर्श हो ।"

महोदय, बहुत हल्ला हो रहा है ।

अध्यक्ष : संजय सरावगी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, माननीय सदस्यों के कारण आपको बोलने में व्यवधान हो रहा है । हमने कहा है शांत हो जाने के लिए और यही ख्याल जब दूसरे सदस्य बोलें तो आप भी ख्याल रखियेगा ।

श्री संजय सरागवी : हुजूर, पूरा ख्याल करेंगे । अध्यक्ष महोदय,

(व्यवधान)

अध्यक्ष : ललित जी, सरावगी जी को बोलने दीजिए । बोलिए, सरावगी जी ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, सरकार आज बिहार राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2017 लायी है और इसमें सरकार चाहती है कि राज्य सरकार विश्वविद्यालय शिक्षक की नियुक्ति हेतु एक बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन करना चाहती है । अध्यक्ष महोदय, बिहार के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पहले भी

विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालय सेवा आयोग बनता रहा है । यह कोई नया काम नहीं कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय । कई बार ऐसे आयोग पर इतने गंभीर आरोप लगे कि वह भंग भी किये गये हैं । एक सरदार कहलाने वाले अध्यक्ष तो महीनों फरार रहने के बाद जेल भी गये थे और सदस्यों पर भी बहुत सारा आरोप लगा था । पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर निगरानी जांच भी बैठा था और कमीशन के कारनामें महीनों अखबार की सुर्खियों में छाये रहते थे महोदय । यहां तक कि यू0जी0सी0 के नौर्म्स को तोड़कर भी हायर सेकेंड्री क्लास की जगह सेकेंड्री क्लास की बहाली हो गयी पूर्व में ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बोलिए न ।

श्री संजय सरावगी : महोदय, मंत्री लोग टोका-टोकी कर रहे हैं । महोदय, अनिवार्य शर्त्तों को भी भंग कर दिया गया और एक परिवार के कई-कई पैरवी पुत्रों की इस आयोग ने बहाली कर दी महोदय । महोदय, इतनी इसमें अनियमितता हुई और पूर्व का जो अनुभव रहा है आयोग के गठन का, वह बहुत ही खराब रहा है । अध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा यह कहना है कि सरकार बी0पी0एस0सी0 से बहाली करवा रही है, बहुत विलम्ब हुआ अध्यक्ष महोदय, लेकिन जो आयोग पूर्व में बने हैं, उसका जो अनुभव रहा है, वह बहुत ही खराब अनुभव रहा है । जेल गये हैं अध्यक्ष और आयोग के मेम्बर पर आरोप लगे हैं और बहालियों पर भी आरोप लगा है, इसलिए मेरा यह कहना है कि सरकार बी0पी0एस0सी0 को क्यों हटाना चाह रही है । इसलिए जल्द-से-जल्द बहाली हो, मैं यह चाहता हूँ कि इसके सिद्धांत पर सरकार को बहस करनी चाहिए, जल्दीबाजी न करे, चूंकि बहुत महत्वपूर्ण मामला है ।

<u>जनमत जानने का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : सिद्धांत पर विमर्श के बाद जनमत जानने का प्रस्ताव । माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी द्वारा विधेयक पर जनमत जानने हेतु परिचारित कराने का प्रस्ताव दिया गया है, क्या माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी, अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मैं मूव करूँगा । मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"बिहार राज्य विश्वविद्यालय(संशोधन) विधेयक, 2017
दिनांक 30 जून, 2017 तक जनमत जानने हेतु परिचारित हो।"

महोदय, पहले तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि कल रात और्डर पेपर हमलोगों को मिला है, बहुत लेट नाईट और आज 10.00 बजे तक ही इसमें संशोधन देने का प्रावधान था । इसमें थोड़ा सरकार को समय देना चाहिए सभी माननीय सदस्यों को ताकि सभी माननीय सदस्य इस विषय को तरीके से सामने ले आते, तब इसको करना चाहिए था । यह कोई छोटा-मोटा विधेयक नहीं है महोदय । महोदय, मैं थोड़ा इतिहास में जाना चाहता हूँ । विश्वविद्यालय सेवा आयोग 1976 में बना और 1981 में संशोधित हुआ।

बिहार अधिनियम-30 के अंतर्गत 21 जनवरी, 1980 से प्रभावी हुआ, 1981 में फिर संशोधित हुआ । 1987 में फिर संशोधित हुआ और 2006 में भंग कर दिया गया । महोदय, जब 2005 में एन0डी0ए0 की सरकार बिहार में बनी और हमलोग आये तो हमलोगों ने महसूस किया कि इसके कारण बहुत सारी गड़बड़ियां हुई, बहुत सारी अनियमिततायें हुई और मुझे लगता है कि पराकाष्ठा हो गयी तो एन0डी0ए0 की सरकार ने इसको भंग कर दिया और फिर से 2008 में बी0पी0एस0सी0 की बहाली की अनुमति दी गयी और फिर से इसको लाया जा रहा है । तो मुझको यह लगता है कि जो लोग उस समय सरकार में थे, उन लोगों ने इस मामले के माध्यम से क्या-क्या किया, वह इतिहास में दर्ज है फिर उसी में से कई लोग सरकार में हैं तो संगत से गुण होत है और संगत से गुण जात तो कहीं संगति का परिणाम तो नहीं है कि फिर इसको लाया जा रहा है और फिर वही होने जा रहा है जो लालकेश्वर और परमेश्वर के माध्यम से हुआ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बोलने दीजिए ।

श्री मिथिलेश तिवारी : इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि क्या राज्य विश्वविद्यालय आयोग के गठन के बाद नियुक्ति में पारदर्शिता बरती जायेगी ? क्या अभ्यर्थी जो आवेदन करेंगे उनको योग्यता के अनुसार मौका मिलेगा ? क्या उम्र सीमा में छूट मिलेगी क्योंकि बहुत से लोग हायर एजुकेशन प्राप्त कर नौकरी के इन्तजार में लोगों की मृत्यु हो चुकी है और दूसरे राज्यों में जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, सरकार ने उसको ध्यान में लाया है कि नहीं, उसका अध्ययन किया है कि नहीं ? इसलिए मैं आपके माध्यम से यह प्रस्ताव करना चाहता हूँ कि इसको जनमत जानने के लिए तीन महीने के लिए भेजा जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"बिहार राज्य विश्वविद्यालय(संशोधन) विधेयक, 2017
दिनांक 30 जून, 2017 तक जनमत जानने हेतु परिचारित हो ।"

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"बिहार राज्य विश्वविद्यालय(संशोधन) विधेयक, 2017
पर विचार हो ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : अब मैं खंडश लेता हूँ । खंड-2 एवं 3 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"खंड-2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बना ।

टर्न–12/शंभु/30.03.17

अध्यक्ष : खंड–4 में एक संशोधन है।

क्या माननीय सदस्य श्री अनिल सिंह, अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अनिल सिंह : जी हां, मूव करूंगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय ललित जी, आप विधान सभा के सदस्य हैं और इस सभा का सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम होता है विधान बनाना, विधायी कार्य । वही सबसे महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है। सभी माननीय सदस्य गंभीरता से इसमें हिस्सा लीजिए । यह जो विधायी कार्य चल रहा है यह सभा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है।

श्री अनिल सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

विधेयक के खंड–4 में प्रस्तावित धारा 58 ख के अंत में निम्न शब्द समूह जोड़ा जाय :–

''जो पांच सदस्यीय होगा और जिसमें अध्यक्ष एवं सदस्य राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त वरीय प्रोफेसर होंगे। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य का चयन स्क्रीनिंग समिति के माध्यम से होगा ।''

महोदय, पूरे देश में टेक्नोलॉजी और इच्छाशक्ति की बदौलत पारदर्शिता लाने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार भी पारदर्शिता लाने की बात बड़े पुरजोर ढंग से करती रही है। पिछले दिनों मेधा घोटाला, नियुक्ति घोटला में जो मामले सामने आये हैं उसके कारण यह आवश्यक हो गया है कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन में पूरी पारदर्शिता से राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन प्रकाशित कर किया जाय ताकि आने वाले समय में कोई गड़बड़ी होती है तो चयनकर्त्ता की नीयत पर कोई संदेह उपस्थित नहीं हो । महोदय, भारत सरकार द्वारा होनेवाली क्लास–4 एवं 3 की नियुक्ति में इन्टरव्यू को समाप्त कर दिया गया है क्योंकि इन्टरव्यू का उद्देश्य अपवाद को छोड़ दें महोदय तो गड़बड़ी करना ही होता है। इसलिए विश्वविद्यालय शिक्षकों के मामले में इन्टरव्यू की व्यवस्था को आनेवाले समय में सरकार समाप्त कर दे तो ज्यादा पारदर्शिता होगी। महोदय, प्रस्तावित आयोग का गठन पारदर्शी तरीके से हो, इसलिए मैंने यह संशोधन लाया है।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''विधेयक के खंड–4 में प्रस्तावित धारा 58 ख के अंत में निम्न शब्द समूह जोड़ा जाय :–

''जो पांच सदस्यीय होगा और जिसमें अध्यक्ष एवं सदस्य राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त वरीय प्रोफेसर होंगे। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य का चयन स्क्रीनिंग समिति के माध्यम से होगा।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खंड-4 इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-4 इस विधेयक का अंग बना।

खंड-5 में कोई संशोधन नहीं है।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खंड-5 इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-5 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''नाम इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नाम इस विधेयक का अंग बना।

अब स्वीकृति का प्रस्ताव, प्रभारी मंत्री।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

श्री अशोक चौधरी,मंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 स्वीकृत हो।''

अध्यक्ष : कोई माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं ?

श्री नन्दकिशोर यादव : महोदय, यह जो नया संशोधन प्रस्ताव आया है, बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017- मैं ट्रेजरी बेंच को देख रहा हूँ तो मुझे आज भी याद है

2006 जब बिहार की एन0डी0ए0 सरकार ने इसमें भी ट्रेजरी बेंच में बैठे हुए माननीय मंत्रियों में एक श्रवण जी को छोड़कर के कोई मंत्री उस कैबिनेट में शामिल नहीं थे, सबके सब बाद के दिनों में शामिल किये गये.....

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी,मंत्री : संयोग है.....

श्री नन्दकिशोर यादव : हां, संयोग ही है। एक श्रवण जी केवल उस बात के गवाह हैं कि उस कैबिनेट की बैठक में जब राज्य सरकार ने इस बात पर विचार किया कि जो बिहार के अंदर बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 है और इसमें जिन बातों का प्रावधान किया गया है उसके आधार पर जो नियुक्तियॉं हो रही हैं उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां पायी गयी, पूरी चर्चा हुई और आप जानते हैं कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहा करते हैं कि वे सभी निर्णय बड़ा सोच विचार करके करते हैं। उस समय भी व्यापक चर्चा करके इन बातों का विचार करके सरकार इस मत पर पहुंची थी कि वर्त्तमान में जो उस समय की व्यवस्था थी वह व्यवस्था गलत थी। उस व्यवस्था के कारण बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हो रही थी, उस व्यवस्था के कारण बड़े पैमाने पर धांधली हो रही थी, उस व्यवस्था के कारण योग्य लोगों का चयन नहीं हो रहा था और सरकार ने तय किया कि पारदर्शिता लाने के लिए और योग्यताधारी शिक्षकों की ही बहाली हो सके इसके लिए सरकार ने तय किया कि हम बी0पी0एस0सी0 के माध्यम से इसकी बहाली का काम करेंगे। महोदय, बी0पी0एस0सी0 से बहाली का निर्णय हो गया, अब बी0पी0एस0सी0 में बहाली हुआ कि नहीं हुआ मैं नहीं जानता हूँ। उसके बारे में जवाब देंगे माननीय मंत्री महोदय, हो सकता है माननीय मंत्री महोदय कह दें कि चार साल विलंब से चल रहा है। जैसी मुझे जानकारी है कि बी0पी0एस0सी0 की परीक्षाएं चार साल, पांच साल विलंब से चल रही हैं। महोदय, सवाल यह है कि केवल बी0पी0एस0सी0 की परीक्षा देर से चले और इसके लिए कोई गलत व्यवस्था स्वीकार कर लिया जाय, यह कहीं से उचित नहीं है। बी0पी0एस0सी0 की परीक्षा में विलंब हो रहा है, चार साल देर से हो रहा है तो उसको भी समय पर कराने के लिए सरकार की जिम्मेदारी होती है- बी0पी0एस0सी0 के साथ सरकार तालमेल करती है, बी0पी0एस0सी0 से सरकार संवाद करती है और सरकार के स्तर पर समय पर बी0पी0एस0सी0 अपनी परीक्षा ले, समय पर विश्वविद्यालय जो उसकी आवश्यकता है, जो पद रिक्त है उसके बारे में बी0पी0एस0सी0 को सूचित करे और परीक्षाएं समय पर हो, यह सरकार का दायित्व है। सरकार एक तरफ बी0पी0एस0सी0 में समय पर परीक्षा हो इसके बजाय सरकार ने एक अद्भुत निर्णय लिया है और वह निर्णय मेरे समझ से बाहर है। जिस माननीय मुख्यमंत्री के निदेश पर, जिस माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बनी हुई कैबिनेट ने यह सुविचारित मत बनाया था कि यह जो विश्वविद्यालय सेवा आयोग है, यह भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था, वह विश्वविद्यालय सेवा आयोग उचित व्यक्तियों का चयन नहीं कर पा रहा है।

उसी माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बनी हुई इस कैबिनेट ने फिर से निर्णय ले लिया है कि हम विश्वविद्यालय सेवा आयोग को फिर से बहाल करेंगे। यह मेरी समझ से परे है। मैं जानना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ इन चीजों को कि कौन सी ऐसी परिस्थिति पैदा हो गयी, केवल बी0पी0एस0सी0 चार साल लेट कर रहा है इसके कारण से इस नये आयोग को बनाने की बात चल रही है, बी0पी0एस0सी0 से परीक्षा नहीं लेने की बात चल रही है। महोदय, यह चिंता की बात है। महोदय, अंतर केवल इतना ही आया है कि मंत्रियों के चेहरे बदल गये हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा वही है, सरकार वही है और इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ, मैं बड़े पुरजोर ढंग से इस बात को रखना चाहता हूँ कि नयी गलत परिपाटी चालू मत कीजिए। पारदर्शिता होनी चाहिए, आज पूरे देश के अंदर हर तरह की पारदर्शिता की बात चल रही है, समाज का हर तबका पारदर्शिता चाहता है और बिहार के अंदर जो उच्च शिक्षा की स्थिति रही है, वह लगातार उच्च शिक्षा में गिरावट आ रही है और लगातार आप देखते हैं प्रश्नों के माध्यम से यह बात आती है कि विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ने की व्यवस्था ठीक नहीं है। क्रमशः...

टर्न–13/अशोक/30.03.2017

श्री नंद किशोर यादव : (क्रमशः) पर्याप्त शिक्षक नहीं है महोदय, विषयों के छात्र हो जाते हैं, शिक्षक नही होते हैं महोदय और इस कारण से जो विश्वविद्यालय की जो दुर्दशा है उसका निदान यह नहीं था महोदय, उसका निदान यह था कि बेहतर शिक्षक नियुक्त होते उसका निदान यह था सक्षम शिक्षक नियुक्त होते और बी.पी.एस.सी. का जो प्रावधान बिहार के तत्कालीन सरकार ने सुविचारित रूप से किया था उसको लागू करते और बी.पी.एस.सी. को समय पर परीक्षा लेने के लिए बाध्य करते तो ज्यादा बेहतर होता महोदय लेकिन सरकार ने गलत दिशा में बढ़ने का काम किया हैं, मैं जानता हूँ, मैं इस बात को भी मानता हूँ कि निर्णय शायद मुख्यमंत्री के मर्जी खिलाफ हुआ हो मैं नहीं जानता । लेकिन अगर सरकार ऐसी हो जाय कि मुख्यमंत्री के मर्जी के खिलाफ निर्णय होने लगे तो मुझे और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ सकते हैं सारी बातों को । मैं यह जरूर देख रहा हूँ कि जब से यह नई सरकार बनी हैं तब से पुरानी सरकार के मुख्यमंत्री के सुविचारित निर्णय नये मुख्यमंत्री के सुविचारित निर्णय से मेल नहीं खाते हैं महोदय । यह मेल नहीं खाने का कारण क्या है, मुस्कुरा रहे हैं उप–मुख्यमंत्री जी, अभी आपको थोड़े ही दिन हुआ है इसलिए शायद पूरी जानकारी न भी हो लेकिन परिवर्त्तन मुझे दिखलाई पड़ रहा है, यह जो परविर्त्तन है महोदय, मेरा कहना कि परिवर्त्तन होता है मै मानता हूँ, मै मानता हूँ परिवर्त्तन होता है, परिवर्त्तन अवश्यंम्भावी है, लेकिन

परिवर्त्तन नीचे जाने की ओर नहीं होना चाहिए परिवर्त्तन बेहतरी के लिए होना चाहिये, अगर परिवर्त्तन बेहतरी के लिए करना है यह जो आपने संशोधन लाया है उसको वापस लीजिए, फिर से विचार कीजिये और तब इसको लाइये ।

आप देर से आये क्या करें !

अध्यक्ष : आप को सुन ही रहे होंगे कहीं से । और कोई माननीय सदस्य । माननीय मंत्री । आप बोलिये । संक्षेप में ।

श्री मो. नेमतुल्लाह : अध्यक्ष महोदय, यह जो अमेंडमेंट लाया गया है राज्य हित में है महोदय और राज्य हित में है और ये जो डिले होता था कमीशन में बहाली के लिए, बहुत सारे लोग जो पी.एच.डी. करके हमारे बेकार नौजवान पड़े रहते हैं, उसमें ये ज्यादा से ज्यादा एप्वायंटमेंट और सुविधा करने की व्यवस्था हैं, महोदय इसमें सबसे बड़ी बात हैं धारा-57 उप-धारा-ए0 का(1) में जो है उसको उसी तरह से रखा गया है, इसमें प्रबन्ध समिति के गठन करने के लिए जो आर्टिकल 30 में है उसको बचाये रखा गया है यह बहुत बड़ी बात हैं, यह मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की और उपलब्धि हैं यह गठबंधन सरकार की एक बहुत उपलब्धि हैं एक तरह से यह ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2007 में पूर्व विश्वविद्यालय अंगीभूत महाविद्यलयों में शिक्षक की नियक्ति हेतु अनुशंसा के लिए बिहार अंगीभूत विश्वविद्यालय सेवा आयोग गठित था उसी प्रकार सम्बद्ध महाविद्यालयों में शिक्षकों के पद पर नियुक्ति बिहार कॉलेज सेवा आयोग का गठित था, ये दोनो आयोग वर्ष 2007 में विघटित कर दिये गये । वर्ष 2013 में राज्य के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 तथा पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 में संशोधन करते हुये सहायक प्राचार्य की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से किये जाने का निर्णय हुआ था जिसके तहत सम्प्रति नियुक्ति की कार्रवाई चल रही है । बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2014 में कुल तीन हजार 364 पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था इसके विरूद्ध अबतक मात्र 565 पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्राप्त हुई है । मैथिली में 49 में, अंग्रेजी में 170, दर्शनशास्त्र में -132 एवं अर्थशास्त्र (इकोनॉमिक्स) में -214 बिहार राज्य के विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षकों के अधिकांश पद रिक्त हैं, उक्त पदों पर त्वरित गति से शिक्षकों के पद पर नियुक्ति किये जाने हेतु एक अलग विश्वविद्यालय आयोग का गठन आवश्यक है । चूंकि बिहार के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत दिशा, निर्देश, नियमन , विनियम में अंकित अर्हताओं, प्रावधानों के आलोक किया जाना अनिवार्य है, उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में बिहार राज्य विश्वविद्यालय

अधिनियम, 1976 एवं पटना विश्वविद्यालय अधिनियम,1976 में संशोधन किया जाना आवश्क हैं, इसी परिप्रेक्ष्य में बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 276 की धारा-2 धारा 57 में कतिपय संशोधन तथा नयी धारा 58(ख) जोड़े जाने हेतु बिहार राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधयेक,2017 उपस्थापित किया गया है । अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता नंद किशोर यादव जी कह रहे हैं कि 2007 में जब निर्णय लिया गया था कि यह बात सत्य है कि 2007 जब निर्णय लिया गया था मीननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उस समय में आयोग के ऊपर बहुत से भ्रष्टाचार के आरोप थे और एक नीयति के साथ उसको भंग किया गयाथा और माना गया था हम बिहार पब्लिक कमीशन से इसके एप्यांटमेंट को करायेंगे, इसका मतलब था कि माननीय मुख्यमंत्री चाहते थे कहीं न कहीं ट्रांसपैरेन्ट एप्यांइटमेंट सिस्टम हो, जिससे कि हम हायर एडुकेशन में जो क्वालिटी हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर हो उनकी नियुक्ति हो सके परन्तु बार बार प्रयास सरकारे के करने के बाद भी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो 2014 में हमारी टोटल हमारे पास जो भैकेंसी थी वह 6624 थी, हमारी वर्किंग भैकेंसी टोटल पोस्ट सैक्शन 2014 में जब हमलोगों ने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को दिया था वह 13508 था और वर्किंग 6884 थे भैकेंसी 6624 थे और उसके बाद इतने मेहनत करने के बाद मात्र बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो हमे जो संख्या, संख्या जो दिया वह मात्र दिया 565 । एक डेढ़ साल के मेहनत के बाद अब उसके बाद डेढ़ साल के बाद जो हायर एडुकेशन में भैकेंसी की स्थिति हुई 7,485 मतलब बिहार पब्लिक कमीशन को हमने जो भैकेंसी दी उसके बाद एप्यांटमेंट का प्रोसेस जो उन्होंने अपनाया उसमें मात्र तीन गुणा और भैकंसी हमारी बढ़ी तो इसलिये उस समय जो परिस्थितियां थी उसको देखते हुये उसको भंग किया गया था लेकिन आज की जो परिस्थिति है अगर हायर एडुकेशन को कांसोलिडेट करना है और हायर एडुकेशन में क्वालिटी एडुकेशन लाना है जबतक असिसटेंट प्रोफेसर को बहाल नहीं करियेगा तब तक आपके हायर एडुकेशन को स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा, आज के समय में हमारा जी.आर. 30.9 प्रतिशत हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि हम 2020 में इसको 30 प्रतिशत , जो हमारा नेशनल एभरेज हैं 25 प्रतिशत उसके हम आस पास आये और हम 30 प्रतिशत का हमलोगों को उन्होंने टारगेट दिया है, उस 30 प्रतिशत जी.आर. को कैसे पकड़ पायेंगे अगर इसी स्थिति से बिहार पब्लिक कमीशन के एप्यांटमेंट होंगे और माननीय नेता नंद किशोर यादव जी को उनका ज्ञानवर्द्धन करना चाहते हैं कि माननीय नेता जी 2011 में जब आप खुद एन.डी.ए. के सदस्य थे और आप माननीय मंत्री थे, आपने "Bihar State University Commission Bill was passed by the Vidhan Mandal but His Excellency Governor returned the bill saying that no prior approval was taken by the Governor since the bill was money bill."

इसलिये जो आप बात कर रहें हैं 2007 में माननीय मुख्यमंत्री, ...

(व्यवधान)

मेरी बात सुनिये, मेरी बात सुनिये, नेता जी मेरी बात सुनिये न । मेरी बात सुनिये न । आपने आरोप लगाया सत्ता पक्ष पर कि सत्ता पक्ष माननीय मुख्यमंत्री के विजन के साथ नहीं चल रहा है मैं उसी का जवाब देना चाहता हूँ कि 2007 में तो ये परिस्थितियां थी इसलिये इसको भंग किया गया चूंकि वहां पर आयोग पर करप्सस के चार्जेज थे और झारखंड में जो माननीय मुख्यमंत्री जो हैं वही जेल चले गये तो क्या आपने माननीय मुख्यमंत्री के पद को एबॉलिश कर दिया? आपके गवर्नर बहुत से भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गये, क्या आपने गवर्नर के पद को एबॉलिश कर दिया ? आप का इन्टेंशन अगर साफ रहेगा, इन्टेंश क्लयेर रहेगा और पूरी तरह एडुकेशन सिस्टम में हमलोगों ने ट्रांसपैरेंसी लाने का प्रयास किया है पूरी तरह से हमलोगों ने नो टालरेंस इन क्रप्सन को हमलोगों ने एडोप्ट किया है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सहित सभी जो हमारे जो भी शिक्षण संस्थायें हैं जहां जहां पर ऑटोनोमस बॉडी है, उसको हमने ट्रासपैरेंट किया हैं हम सदन को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस आयोग के माध्यम से जो बहाली होगी उसमें पूरी तरह से यू.जी. सी. के नार्म्स को हमलोग फॉलों करेंगे और माननी मु.यमं.त्री का जो विजन है कि पूरी तरह हम ट्रासपैरेंसी सिस्टम रखें, उस तरह से ट्रांसपैरेंट करके आयोग से हमलोग एप्यांटमेंट करेंगे इसलिए हम सदन से आग्रह करते हैं कि इस बिल को स्वीकृति प्रदान करने का कृपा करें ।

श्री नंद किशोर यादव : एक मिनट महोदय । मैं ज्यादा लम्बी बात नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जो उदाहरण आपने दिया है वह उदाहरण महोदय हटा दीजिये, महोदय गठबन्धन सरकार के सेहद के लिये उदाहरण ठीक नहीं है, गठबन्धन सरकार में ही एक मुख्यमंत्री जेल गये है, उदाहरण आपका ठीक नहीं है, वापस कर लीजिये, आप गठबन्धन की सरकार चला रहे हैं, अपने ही गठबन्धन सरकार के पुराने मुख्यमंत्री को दोषी ठहराने का काम कर रहे हैं । यह कौन सा काम करना चाहते हैं ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : जो गलत होगा,वह गलत है, चाहे जो भी हो ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" बिहार राज्य विश्वविद्यालय(संशोधन) विधेयक,2017" स्वीकृत हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

" बिहार राज्य विश्वविद्यालय(संशोधन) विधेयक,2017" स्वीकृत हुआ ।

"पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक,2017"

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक,2017" को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान दी जाए ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक,2017" को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर: स्थापित करने की अनुमति दी गई ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

टर्न-14/ज्योति

30-03-2017

अध्यक्ष : अब विचार का प्रस्ताव । प्रभारी मंत्री ।

विचार का प्रस्ताव

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार हो ।''

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122(i) के तहत माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी एवं श्री अनिल सिंह का विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है अतएव सिद्धान्त पर विमर्श होने के पश्चात विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा । क्या माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 के सिद्धान्त पर विचार हो ।''

अध्यक्ष महोदय, जब बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक आ रहा था, उस समय जो मैंने बात रखी थी कि पूर्व में भी वही विश्वविद्यालय, अंगीभूत

महाविद्यालय आयोग बना उसका अनुभव बहुत खराब रहा है । पारदर्शिता का अभाव रहा है । सर्विस कमीशन के अध्यक्ष तक जेल गए हैं, हाई कोर्ट के आदेश से निगरानी की जॉच हुई और मेम्बर तक जेल गए हैं । एक एक परिवार के कई पैरवी पुत्र बहाल हुए हैं यानी वही सब बात है अध्यक्ष महोदय, इसलिए अध्यक्ष महोदय इसपर विचार करे, केवल जो है बहुमत का जो मादा नहीं दिखावे अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यह निर्णय हुआ था कि आयोग गलत काम कर रहा है इसलिए बी.पी.एस.सी. से बहाली की गयी । बी.पी.एस.सी. में त्वरित बहाली हो अध्यक्ष महोदय, इसकी चिन्ता होनी चाहिए न कि जिसमें गड़बड़िया हुई फिर उसको इशटैब्लिश कर दिया जाय इसलिए विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श हो ।

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श के बाद अब जनमत जानने का प्रस्ताव । माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी द्वारा विधेयक पर जनमत जानने का प्रस्ताव दिया गया है । क्या माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री मिथिलेश तिवारी : जी, मूव करेंगे । अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 दिनॉक 30 जून तक जनमत जानने हेतु परिचारित हो । ''

महोदय, विषय वही है जो हमलोगों ने बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के संशोधन विधेयक पर कहा है और इसमें एक विषय ध्यान में रखने योग्य है कि पटना विश्वविद्यालय की एक शानदार परम्परा रही है, एक शानदार इतिहास रहा है और बीच के दिनों में पटना विश्वविद्यालय भी कलंकित हुआ है कई मामले में और पटना विश्वविद्यालय में जो छात्र पढ़ते थे उनको एक अलग प्रकार की कैटेगरी के दृष्टिकोण से देखा जाता था । महोदय, हमको लगता है कि चूँकि हमलोगों के पास तो संख्या बल है नहीं, बहुमत अगर गलत बिल पास करा देगा तो हमलोग यहॉ विरोध ही करेंगे ।

(व्यवधान)

बैठ कैसे जायेंगे ?

अध्यक्ष : मा0स0 श्री मिथिलेश जी आपको भले संख्या बल नहीं है लेकिन आपकी बात पूरा सदन गंभीरता से सुन रहा है ।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, हमलोग यह विषय इसलिए ला रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो स्वर्णिम काल हमलोगों के साथ उस काल को माननीय मुख्यमंत्री जी याद करें और इस विधेयक को पास कराने से रोकें । महोदय, मेरा यही विषय है इसीलिए इसको तीन महीने के लिये परिचारित करने के लिए जनमत के लिए भेजा जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 दिनॉक 30 जून 2017 तक जनमत जानने हेतु परिचारित हो ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि :

'' पटना विश्वविद्यालय(संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष: अब मैं खण्डशः लेता हूँ :

खण्ड–2 एवं 3 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खण्ड–2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड–2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : खण्ड–4 में एक संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अनिल सिंह अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अनिल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' विधेयक के खंड–4 में प्रस्तावित धारा 56 क के अंत में निम्न शब्द समूह जोड़ा जाय ।''

'' जो पांच सदस्यीय होगा और जिसके अध्यक्ष एवं सदस्य राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त वरीय प्रोफेसर होंगे । आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य का चयन स्क्रीनिंग समिति के माध्यम से होगा । ''

महोदय, पूरे देश में टेकनोलॉजी और इच्छाशक्ति की बदौलत पारदर्शिता लाने का प्रयास किया जा रहा है । सरकार भी पारदर्शिता की बात बड़े पुरजोर ढंग से करती है । पिछले दिनों मेघा घोटाला और नियुक्ति घोटाले के जो मामले सामने आए हैं उसके कारण यह आवश्यक हो गया है अध्यक्ष महोदय, कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन को पूरी पारदर्शिता से राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन प्रकाशित कर किया जाय ताकि आने वाले समय में यदि कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो चयनकर्त्ता की नीयत पर संदेह न हो ।

महोदय, भारत सरकार द्वारा होने वाली क्लास–4 एवं क्लास–3 की नियुक्तियों में इंटरव्यू को समाप्त कर दिया गया है । इंटरव्यू का उद्देश्य , अपवाद मामलों को छोड़ दिया जाय तो , गड़बड़ी करना ही हो गया है । इसलिये विश्वविद्यालय शिक्षकों के मामले में इंटरव्यू की व्यवस्था को सरकार आने वाले समय में समाप्त कर दे तो ज्यादा पारदर्शी होगा ।

अध्यक्ष महोदय, एक बात और सरकार से चाहूँगा कि उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए जो टीचर अभी रिटायर कर गए हैं जो अच्छे शिक्षक हैं उनको सरकार फिर से लाकर उनका उचित मूल्यांकण कर उन्हें सरकार लाए ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिल सके और प्रस्तावित आयोग का गठन पारदर्शी तरीके से हो इसलिए मैंने यह संशोधन लाया है महोदय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' विधेयक के खंड-4 में प्रस्तावित धारा 56 क के अंत में निम्न शब्द समूह जोड़ा जाय :

'' जो पांच सदस्यीय होगा और जिसके अध्यक्ष एवं सदस्य राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त वरीय प्रोफेसर होंगे । आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य का चयन स्क्रीनिंग समिति के माध्यम से होगा । ''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खंड-4 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-4 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-5 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खंड-5 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-5 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खंड-1 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' नाम इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

अब स्वीकृति का प्रस्ताव । माननीय प्रभारी मंत्री ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 स्वीकृत हो ।''

अध्यक्ष : कोई माननीय सदस्य ?

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय विधायकों ने नंद किशोर यादव जी ने, मिथिलेश तिवारी जी ने, संजय सरावगी और अनिल जी ने बड़े ही विस्तार से आयोग के इतिहास के बारे में जानकारी दी । महोदय, कहना चाह रहे थे महोदय कि पिछला जो इतिहास रहा है एक अच्छा सरकार का फैसला था और सरकार ने आयोग को भंग किया था और पूर्व का जो इतिहास रहा है और उससे मतलब आगे इसकी पुनरावृति न हो और सरकार ने चिन्ता व्यक्त की है कि शिक्षकों की नियुक्ति में विलम्ब हो रहा है तो स्वाभाविक है और हमलोग भी चाहते हैं कि राज्य में शिक्षा जो शिक्षकों के अभाव के कारण प्रभावित हो रही है । सरकार के लिए यह जरुरी नहीं है कि आयोग का ही गठन करे । हमें तो लगता है कि बिहार लोक सेवा आयोग है, उसे ही प्रयास करना चाहिए था तो ज्यादा बेहतर होता । हमें लग रहा है कि सरकार नई सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जरुर कौंग्रेस, आर.जे.डी. के दबाव में ऐसे फैसले ले रहे है ऐसी उम्मीद नहीं थी । बिहार की जनता को भी उम्मीद नहीं थी । एक फैसला इन्होंने लिया था । एक अच्छा मैसेज गया फिर उस फैसले को रद्द करे फिर से बहाल करना यह तो बिहार के लिए अच्छा संदेश नहीं जा रहा है । हम आग्रह करेंगे सरकार से कि फिर से विचार करें। जिन बातों की हमलोगों ने चर्चा की और जिस तरह से बिहार में हाल के दिनों में लालकेश्वर, परमेश्वर जो पैदा हुए बिहार में उससे बिहार की छवि काफी धूमिल हुई है । हम मुख्यमंत्री से ऐसी उम्मीद नहीं करते और अभी भी है कि निश्चित तौर पर जो आयोग बनाने का सरकार फैसला ले रही है उसपर फिर से पुनर्विचार सरकार करेगी और लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही नियुक्ति का प्रोविजन सरकार कराये । यही हमारा सुझाव है महोदय ।

टर्न-15/30.3.2017/बिपिन

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री अशोक चौधरी,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, पटना यूनिवर्सिटी ऐक्ट और बाकी जो यूनिवर्सिटी ऐक्ट है, यह दोनों डिफरेंट ऐक्ट है । पटना यूनिवर्सिटी डिफरेंट ऐक्ट से बना है, उसी ऐक्ट में संशोधन कर रहे हैं सो दैट कि हम पूरे यूनिवर्सिटीज को यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन में लेकर जाएं । बिहार राज्य के विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों में शिक्षकों के पद पर

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप नियुक्ति के लिए एक विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन आवश्यक है । साथ-ही-साथ पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 में शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देश, विनियमों में अंकित प्रावधानों के अनुरूप पटना विश्वविद्यालय में शिक्षकों के पद पर नियुक्ति किया जाना अनिवार्य है। इस निमित्त पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 2 एवं धारा 56 में कतिपय संशोधन तथा एक नई धारा 56'क' जोड़ा जाना इस विधेयक का उद्देश्य है ।

अध्यक्ष महोदय माननीय नेता विपक्ष ने कहा है कि बी.पी.एस.सी. से करना चाहिए । बी.पी.एस.सी. से हम क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, इंटेंशन हमारा था कि हम बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अथक प्रयास के बावजूद, बार-बार इंटरफेयरेंस के बावजूद बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को सरकार सिर्फ अपने सुझाव दे सकता है, अपनी सेंसिटिविटी दिखा सकता है, उसके उपर हमारा कोई दबाव नहीं है । सरकार उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता है फिर भी हमलोगों ने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में जो हमारा एक्स्पेक्टेशन था गवर्नमेंट का, उस एक्सपेक्टेशन के अनुसार बिहार पब्लिक सर्विस कमिशन फास्ट हमारा बहाली नहीं करा पाए । हम सिर्फ दो-चार विश्वविद्यालय में जो परिस्थितियां-स्थितियां है, सरकार इतनी गंभीर रूप से इसके उपर आयोग के गठन के लिए क्यों है, उसका सिर्फ हम चित्रण इस सदन के सामने करना चाहते हैं -

विश्वविद्यालय का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत बल	रिक्त पद
बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर	1861	701	1160
जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा	1013	377	676
वीर कुवंर सिंह विश्वविद्यालय, आरा	1015	419	596
बी.एन.मंडल विश्वविद्यालय, मधेपूरा	1482	784	698
मौलाना मजहरूल हक फारसी एवं अरबी विश्वविद्यालय पटना	56	01	55
पटना विश्वविद्यालय, पटना	808	316	492
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया	3093	1650	1443
ललित नारायण मिश्रा विश्वविद्यालय,दरभंगा	1966	767	1199
तिलका मांझी विश्वविद्यालय,भागलपुर	1479	676	826
कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा	781	401	380

कुल जो हमारे स्वीकृत पद हैं पूरे यूनिवर्सिटी में, वह 13564 है और कार्यरत बल है 6079 और रिक्त पद हैं 7485 और जो माननीय नेता कह रहे हैं, माननीय नेता, विपक्ष जो हैं, उनको भी हम कहते हैं कि आपका इंटेंशन....

(व्यवधान)

अध्यक्षः अब आप कहां बीच में बोलने लगे ? जिस समय हमने कहा, कोई माननीय सदस्य तो उठे नहीं, अब तो बोलने दीजिए मंत्री जी को ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्रीः स्टैंड जो है अध्यक्ष महोदय, स्टैंड प्रदेश के हित में अगर हम सत्ता पक्ष में हों और विपक्ष में हों, हमारा स्टैंड नहीं बदलना चाहिए और अगर स्टैंड बदलता है तो इसका मतलब आपका दोहरा चरित्र है । विपक्ष का दोहरा चरित्र है । विपक्ष के जो नेता हैं, जब खुद कैबिनेट में थे 2011 में तो उन्होंने इस बिल को पास किया और इसी सदन से पास किया । जब गवर्नर ने एप्रूवल नहीं दिया, तब यह बिल पास नहीं हो सका । लेकिन जब 2011 में इनका इंटेंशन था कि भ्रष्टाचार विश्वविद्यालय आयोग में होगा तो फिर इन्होंने कैबिनेट से क्यों पास किया ? तो यह चरित्र इस तरह का नहीं होना चहिए । अगर प्रदेश के हित को देखना चाहते हैं तो जब आप स्टैंड उस समय कैबिनेट में लिए थे, वही स्टैंड इस समय भी लेना चाहिए और हम विपक्ष से आग्रह करते हैं कि सर्वसम्मति से इस बिल को पास करें ।

श्री प्रेम कुमार,नेता विरोधी दलः अध्यक्ष महोदय, ये आरोप ..

श्री नन्द किशोर यादवः महोदय, मुख्यमंत्री जी से मेरा मतभेद हो सकता है महोदय, लेकिन मुख्यमंत्री जी पर ऐसा आरोप लगे, यह हमारे बर्दाश्त के बाहर है महोदय । यह गलत बात हो रहा है महोदय । ऐसा आरोप नहीं लगना चाहिए मुख्यमंत्री महोदय पर महोदय । यह गलत तरीका है महोदय ? मुख्यमंत्री उसके भी गवाह हैं महोदय । महोदय, निर्णय तो मुख्यमंत्री ...

अध्यक्ष : चाहे यह बिल 2011 में पास हुआ हो, चाहे 2017 में पास हुआ...

श्री नन्द किशोर यादवः महोदय, मुख्यमंत्री पर आरोप क्यों लगा रहे हैं ? उनके कैबिनेट के मेम्बर हैं वो ।

(व्यवधान)

अध्यक्षः सदन नेता कह रहे हैं, सब आदमी सुनिए ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि हमलोगों ने विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार लाने के दृष्टिकोण से बहुत कदम उठाए थे और उसमें हमलोगों ने यह सोचा था प्रारम्भ में कि विश्वविद्यालय की ऑटोनॉमी और बढ़े । विश्वविद्यालय के संचालन में सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती है । जब पहली बार सरकार बनाने का और काम करने का मौका मिला था तो उस समय आप जानते ही हैं बिहार में विश्वविद्यालय अधिनियम और पटना विश्वविद्यालय अधिनियम है उसके मुताबिक चांसलर महामहिम राज्यपाल होते हैं, तो सरकार बनते ही जो पहली मीटिंग हुई थी, उस समय बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री बूटा सिंह जी थे और चांसलर भी थे, उस समय भारत के राष्ट्रपति जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, ए.पी.जे.अब्दुल कलाम साहब थे, तो वहां जब पहली बार बैठक हुई थी तो मैंने एक ही बात कही थी कि भाई हम विश्वविद्यालय की

ऑटोनॉमी में विश्वास करते हैं और राज्य सरकार एक ही चीज चाहती है तथा वह यह कि हमारे यहां जो सेसन है वह लेट चल रहा है । दो-दो साल कई विश्वविद्यालयों में सत्र विलंबित है तो वैसी स्थिति में हम और कुछ नहीं चाहते हैं, हम चाहते यही हैं कि पूरा-का-पूरा एकेडेमिक कैलेंडर हर वर्ष का जारी होना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए और समय पर परीक्षा होनी चाहिए ताकि हमारे बिहार के विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी प्रतियोगिता में पिछड़ने की नौबत न आ जाए । उनको ससमय अंतराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर मिले और वे दूसरे राज्यों की तुलना में पीछे न रह जाएं, अवसर से वंचित न रह जाएं । तो उस समय हमलोगों ने पहला काम विश्वविद्यालय में ही कराया था और हमने कहा था कि अगर ऐसा होगा, उन दिनों स्थिति यह थी कि विश्वविद्यालय में शिक्षकों को और कर्मचारियों को वेतन बहुत देर से मिल पाता था । महीनों लंबित रहता था । तो हमने कहा कि भई, हम इसकी गारंटी करेंगे कि महीने की पहली तारीख को विश्वविद्यालयों को शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन भुगतान करने के लिए राशि उपलब्ध हो जाए राज्य सरकार की तरफ से । लेकिन हमारी एक ही अपेक्षा है कि ऐकेडेमिक कैलेंडर बनना चाहिए और समय पर परीक्षा होनी चाहिए । यह वहां शुरू हुआ और हमलोग पूरे तौर पर यकीन करते थे कि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता रहे, पढ़ाई हो, वातावरण बेहतर हो तो उस स्थिति में हमलोगों ने शुरू में यह तय किया कि शिक्षकों की जो बहाली होती है, नियुक्ति होती है, यूनिवर्सिटी को ही करना चाहिए और यूनिवर्सिटी में इसको अधिकार दिया गया, वाइस चांसलर को अधिकार दिया गया लेकिन अनुभव के आधार पर देखा गया कि वे इस काम को कर नहीं पा रहे हैं । तो वैसी स्थिति में फिर आगे धीरे-धीरे बढ़ना पड़ा और बाद में यह महसूस हुआ कि शायद हमलोगों को फिर से विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन करना पड़ेगा । अब इन दिनों स्थिति यह हो गई है जिसका जिक्र माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा, रिक्तियां बढ़ती चली जा रही है । विश्वविद्यालयों की ऐकेडेमिक स्थिति उनकी जो है, बहुत खराब होती चली जा रही है । ऐसी स्थिति में जो ठीक कहा इन्होंने, हमारा तो ग्रॉस इन्रॉलमेंट रेशियो बहुत कम है, थर्टीन परसेंट करीब है और यह बहुत कम है यानी 12वीं कक्षा के बाद जो उच्च शिक्षा की ओर जाते हैं विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम है

...क्रमशः

टर्न : 16/कृष्ण/30.03.2017

श्री नीतीश कुमार,मुख्यमंत्री (क्रमशः) अनुपात बहुत कम है, इस को बढ़ाना है । इस को 30 प्रतिशत और 30 प्रतिशत से आगे ले जाने की हमलोगों की मंशा है । वैसी स्थिति में विश्वविद्यालयों को ठीक करना पड़ेगा और उसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुये नये विश्वविद्यालयों का सृजन किया गया । आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की

गयी। आप जानते ही हैं । यहां पर मैनेजमेंट का इन्स्टीच्यूट बना, चन्द्रगुप्त इन्स्टीच्यूट ऑफ मैनेजमेंट और लॉ यूनिवर्सिटी – चाणक्या लॉ यूनिवर्सिटी बनी । इस के अलावे बहुत सारे संस्थानों में पहल की गयी । आई0आई0टी0 जो आज पटना में आया है, इस के लिये हमलोगों ने पहल की और आई0आई0टी0 बना, एन0आई0टी0 तो उसके कुछ पूर्व बन गया था । झारखंड के अलग हो जाने के कारण बी0आई0टी0 जो मेसरा में अवस्थित था, उस को आग्रह कर के हमलोगों ने सरकार की पूरी मदद की, सरकार ने जमीन दी और उस का बिल्डिंग स्ट्रक्चर का निर्माण करने के लिये हमलोगों ने धनराशि दी तो बी0आई0टी0 मेसरा का भी गठन हुआ । तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किये गये और अभी भी हर कमिश्नरी में एक विश्वविद्यालय हो जाय, इस दृष्टिकोण से हमलोगों ने उस का भी प्रयास कर दिया है । उस के अलावे मगध यूनिवर्सिटी का इतना बड़ा दायरा हो चुका था कि पटना में एक और विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय हो चुका है । तो यह सब काम करना है, इन को स्थापित करना है । लेकिन इस के लिये शिक्षकों की बहुत आवश्यकता है तो इस विषय पर उच्च स्तरीय विमर्श होता रहा है । आप जानते हैं उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालयों का नियंत्रण करना अंततोगत्वा मुख्य रूप से चांसलर के हाथ में रहता है और सरकार का काम है, उन को सहयोग प्रदान करना ताकि ठीक ढंग से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हम प्रगति कर सकें । वैसी स्थिति में उच्च स्तरीय विमर्श हुआ और विमर्श में यह बात उभरकर आयी कि फिर से हमलोगों को यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन सेलेक्शन के लिये जरूरी है । क्योंकि कई बार यह बात आई कि हर वर्ष वेकेंसी बढ़ती चली जा रही है और उस को पूरा करना है और इस में बिहार लोक सेवा आयोग का कोई कसूर नहीं है । बिहार लोक सेवा आयोग को कई प्रकार की नियुक्तियां करनी रहती है और नियुक्तियों की एक प्रक्रिया है । हम चाहेंगे भी कि वह जल्दी से जल्दी नियुक्ति कर दे तो यह उपयुक्त नहीं होगा । वह एक संवैधानिक संस्था है और अधिक से अधिक क्या इस का आधार होगा, अर्हता क्या होगी, यह सब हमलोग निर्धारित करते या जो भी डिपार्टमेंट या जिस सेवा को भी नियंत्रित करनेवाला विभाग है, वह यह तय करता है, सरकार तय करती है अर्हता के बारे में लेकिन जो नियुक्ति करने की प्रक्रिया है, वह तो उन्हें करना है और वह संवैधानिक संस्था है । वह अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं । ऐसा नहीं है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयास नहीं करता है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन अपने ढंग से काम करता है । उनके पास और सारे काम होते हैं । हर साल एडमिनिस्ट्रेटीव सर्विसेज के लिये भी करना है, अनेक प्रकार के उन के जिम्मे दायित्व हैं । तो उस में यह भी है लेकिन संख्या इतनी ज्यादा है कि इतने बड़े पैमाने पर नियुक्ति करवा पाना यथाशीघ्र यह संभव नहीं होगा । वैसे तो जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन के पास जा चुका है वह तो पब्लिक सर्विस कमीशन को ही करना है । लेकिन उनके पास जितनी वेकेंसी गयी हुई है, उस के अलावे भी हर वर्ष

इतनी वेकेंसी हो रही है कि उस के मद्दे नजर यह देखा गया कि एक स्वतंत्र विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन करना अनिवार्य है । अब विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन होगा । इस में पूरे तौर पर इस के नियम इस प्रकार से बनाये जायेंगे और अर्हता के बारे में बता दिया कि योग्यता आदि का निर्धारण जो केन्द्रीय स्तर पर होता है हम उस का परिपालन करेंगे, उस को ही मानेंगे । अब रहा काम करने का तरीका तो जो यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन बनेगा, उन को पूरे तौर पर जितने स्टाफ की जरूरत होगी, जो भी उन का इन्फ्रास्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट है, वह प्रदान किया ही जायेगा और इस का प्रयास किया जायेगा । जो कहा गया है यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन में हमलोग भी चाहेंगे कि अच्छे शिक्षाविद् ही उस में आयें और ख्याति प्राप्त जो लोग हैं, जो इस काम को कर सकते हैं और जो ठीक ढंग से इस का संचालन कर सकते हैं, निष्पक्ष ढंग से जो संचालन कर सकते हैं, किसी प्रकार का उस में भेदभाव न हो, तो इन सब चीजों का ख्याल रखा जायेगा और यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन का गठन होगा तो सरकार पूरे तौर पर यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन को फंक्शनल बनाने के लिये यथाशीघ्र और हर प्रकार का जो जरूरी सहयोग है, वह सहयोग प्रदान करेगी और हमलोग चाहेंगे कि यूनिवर्सिटीज की वेकेंसी कम से कम समय में भरी जा सकें ताकि जितने विश्वविद्यालयों जिस में विद्यार्थी पढ रहे हैं, वे ठीक से ज्ञान अर्जन कर सकें और यही उद्देश्य है । ठीक है, आप विपक्ष में बैठे हैं तो आप इस बात को कहियेगा । यहां से कुछ कहेंगे वो सारी बातें हैं । मैं समझता हूं एक पार्लियाममेंटरी सिस्टम है, जिस में सारी बातें कही जाती हैं लेकिन मेरा यह फर्ज था कि आज ऐसी परिस्थिति आयी है कि मैं भी इस बात से कंविन्स्ड हूं कि अगर हम तत्काल कोई ऐसी व्यवस्था स्वतंत्र रूप से नहीं करेंगे तो यूनिवर्सिटी की वेकेंसी को, रिक्तियों को शिक्षकों के स्तर पर, असिसटेंट प्रोफेसर के स्तर पर भरना मुमकिन नहीं होगा और नहीं भरी जायेगी तो काम कैसे होगा और कैसे हमारे यहां विद्यार्थी पढ़ पायेंगे? इस को ध्यान में रखकर किया गया है । बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 तो सदन ने पारित कर दिया । अब पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 का उसी प्रकार का संशोधन है । मैं दरख्वास्त करूंगा कि इतना भरोसा रखिये और अगर आप चाहेंगे तो इस विषय पर जब यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन काम करना शुरू करे तो उस के बारे में अगर और कोई सुझाव आना चाहे तो हमलोग स्वागत करेंगे कि इस को इस प्रकार से फंक्शन करना चाहिए लेकिन हमलोग तो इस बात को इन्श्योर करेंगे कि यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन बिल्कुल निष्पक्षता के साथ काम करे, पारदर्शिता के साथ नियुक्ति हो ताकि कोई आरोप न लगे और हमलोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं है, मन में कितनी पीड़ा होती होगी ? विद्यालय परीक्षा समिति में क्या गड़बड़ी हुई या कर्मचारी चयन आयोग की हो रही नियुक्ति के बारे में जो मसले आये हैं, जिस की जांच भी चल रहा है तो आखिरकार इन्वेस्टीगेशन का जो काम है, उस का आदेश किस ने दिया ? हम

ने ही दिया और जांच की बात चल रही थी, इस की जांच करायी जाय कि गड़बड़ी हुई या नहीं हुई । तो विद्यालय परीक्षा समिति के संबंध में भी और बाद में कर्मचारी चयन आयोग के संबंध में जब पूरे चीजों को देखा हमलोगों ने तो इनिशियल उस के बारे में कहा कि आप इंक्वायर कर के बताईये । आप देख रहे हैं विद्यालय परीक्षा समिति के बारे में । हम को दिखाई पड़ा कि हम को इस में मैनशरिया दिखाई पड़ रहा है । इसलिये तत्काल पुलिस केस दर्ज हुआ और जांच होना शुरू हुयी, इन्वेस्टिगेशन होना शुरू हुआ, अन्वेषण में तो आप देख रहे हैं, अनुसंधान में सारी बातें आयी, कर्मचारी चयन आयोग में उसी प्रकार से एस0आई0टी0 का गठन कर के जांच चल रही है जो भी बात होगी, अभी तो किसी के बारे में कहना मुनासिब नहीं है । क्योंकि एस0आई0टी0 जांच कर रही है तो उस में क्या नतीजा निकलता है इन्वेस्टिगेशन का, वह तो उस के बाद प्रकट होगा । इसलिए उस विषय पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते लेकिन पारदर्शिता को ध्यान में रखकर करें, लोगों को विश्वास और भरोसा सिस्टम पर बना रहे । इसलिए ही हमलोगों ने तत्काल कदम उठाया । लेकिन अगर कोई गड़बड़ करता है तो आप या हम कोई बैठे हुये हो सत्ता में, आप इस की गारंटी तो दे नहीं सकते हैं, किसी के ललाट पर तो लिखा हुआ नहीं है कि भई, यह गड़बड़ करेगा । लेकिन कोई अगर गड़बड़ करेगा तो बख्शा नहीं जायेगा और अभी यूनिवर्सिटी कमीशन के बारे में इस प्रकार का अंदेशा भी मन में रखना या शंका भी मन में रखना उचित नहीं है । क्योंकि हमलोगों का भी आज उदाहरण सामने है, पूर्व के भी उदाहरण सामने हैं । इसलिए कमीशन का गठन भी इस प्रकार से किया जायेगा कि सुयोग्य लोग उस में हों और उस का काम करने का तरीका पारदर्शी हो ताकि पूरी निष्पक्षता के साथ और नियमों के मुताबिक वह नियुक्ति कर सके ताकि यूनिवर्सिटी की वर्तमान और भविष्य में उत्पन्न होनेवाली रिक्तियों को ससमय भरा जा सके ताकि हमारे यहां उच्च शिक्षा में गुणवत्ता आ सके ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

पटना विश्वविद्यालय(संशोधन)विधेयक,2017

(व्यवधान)

अब क्या कह रहे है ? अब तो बात हो चुकी । मंत्री बोल चुके ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : हम सुन रहे थे । महोदय, हम यही कहना चाह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री ने चर्चा की कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में, कर्मचारी चयन आयोग में ..

अध्यक्ष : अभी पटना विश्वविद्यालय(संशोधन)विधेयक, 2017 है न ?

श्री प्रेम कुमार,नेता विरोधी दल : महोदय ।

अध्यक्ष : नहीं । अभी इस विधेयक के बारे में ही बात होगी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''पटना विश्वविद्यालय(संशोधन)विधेयक, 2017 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पटना विश्वविद्यालय(संशोधन)विधेयक, 2017 स्वीकृत हुआ ।

टर्न-17/राजेश/30.3.17

वित्तीय कार्य

''बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1981-82, 1983-84, 1987-88, 1991-92, 1996-97, 1997-98, 2003-04, 2005-06 एवं 2014-15) विधेयक, 2017''

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब अधिकाई व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदानों की मांग पर विमर्श होगा । प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, मंत्री: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

''वित्तीय वर्ष 1981-82 के अधिकाई व्यय विवरण के पृष्ठ 02 पर अंकित मांग संख्या-03 मंत्रिपरिषद, निर्वाचन, सचिवालय एवं जिला प्रशासन'' के संबंध में वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए बिहार विनियोग अधिनियमों के उपबन्धों से यथार्थत: अधिक किये गये व्यय के विनियमन के लिए 1,76,68,723/-(एक करोड़ छिहत्तर लाख अड़सठ हजार सात सौ तेइस) रुपये के अधिकाई अनुदान की राशि प्रदान की जाय ।''

यह लोक लेखा समिति द्वारा यथा समर्थित है । यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

''वित्तीय वर्ष 1981-82 के अधिकाई व्यय विवरण के पृष्ठ 02 पर अंकित मांग संख्या-03 ''मंत्रिपरिषद, निर्वाचन, सचिवालय एवं जिला प्रशासन'' के संबंध में वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए बिहार विनियोग अधिनियमों के उपबन्धों से यथार्थत: अधिक किये गये व्यय के विनियमन के लिए 1,76,68,723/-(एक करोड़ छिहत्तर लाख अड़सठ हजार सात सौ तेइस) रुपये के अधिकाई अनुदान की राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्रीअब्दुल बारी सिद्दिकी, मंत्री: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

''वित्तीय वर्ष 1983-84 के अधिकाई व्यय विवरण के पृष्ठ 03 पर अंकित मांग संख्या-12 ''लोक निर्माण कार्य, आवास एवं सिविल विमानन'' के संबंध में वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए बिहार विनियोग अधिनियमों के उपबन्धों से यथार्थत: अधिक किये गये व्यय के विनियमन के लिए 9,44,82,894/-(नौ करोड़ चौवालिस लाख बेरासी हजार आठ सौ चौरानवे) रुपये के अधिकाई अनुदान की राशि प्रदान की जाय ।''

यह लोक लेखा समिति द्वारा यथा समर्थित है । यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

''वित्तीय वर्ष 1983-84 के अधिकाई व्यय विवरण के पृष्ठ 03 पर अंकित मांग संख्या-12 ''लोक निर्माण कार्य, आवास एवं सिविल विमानन'' के संबंध में वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए बिहार विनियोग अधिनियमों के उपबन्धों से यथार्थत: अधिक किये गये व्यय के विनियमन के लिए 9,44,82,894/-(नौ करोड़ चौवालिस लाख बेरासी हजार आठ सौ चौरानवे) रुपये के अधिकाई अनुदान की राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्रीअब्दुल बारी सिद्दिकी, मंत्री: महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

''वित्तीय वर्ष 1987-88 के अधिकाई व्यय विवरण के पृष्ठ 04 पर अंकित मांग संख्या-19 ''पुलिस एवं अन्य प्रशासनिक सेवायें'' के संबंध में वित्तीय वर्ष 1987-88 के लिएबिहार विनियोग अधिनियमों के उपबन्धों से यथार्थत: अधिक किये गये व्यय के विनियमन के लिए 7,99,64,098/-(सात करोड़ निनानवे लाख चौसठ हजार अनठानवे) रुपये के अधिकाई अनुदान की राशि प्रदान की जाय ।''

यह लोक लेखा समिति द्वारा यथा समर्थित है । यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

''वित्तीय वर्ष 1987-88 के अधिकाई व्यय विवरण के पृष्ठ 04 पर अंकित मांग संख्या-19 ''पुलिस एवं अन्य प्रशासनिक सेवायें'' के संबंध में वित्तीय वर्ष 1987-88 के लिए बिहार विनियोग अधिनियमों के उपबन्धों से यथार्थत: अधिक किये गये व्ययय के विनियमन के लिए 7,99,64,098/- (सात करोड़ निनानवे लाख चौसठ हजार अनठानवे) रूपये के अधिकाई अनुदान की राशि प्रदान की जाय।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, मंत्री: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

''वित्तीय वर्ष 1991-92 के अधिकाई व्यय विवरण के पृष्ठ 05 पर अंकित मांग संख्या 6 ''दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत'' के संबंध में वित्तीय वर्ष 1991-92 के लिए बिहार विनियोग अधिनियमों के उपबन्धों से यथार्थत: अधिक किये गये व्यय के विनियम के लिए 52,41,521/- (बावन लाख एकतालिस हजार पाँच सौ एक्कीस) रूपये के अधिकाई अनुदान की राशि प्रदान की जाय ।''

यह लोक लेखा समिति द्वारा यथा समर्थित है । यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

''वित्तीय वर्ष 1991-92 के अधिकाई व्यय विवरण के पृष्ठ 05 पर अंकित मांग संख्या 6 ''दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत'' के संबंध में वित्तीय वर्ष 1991-92 के लिए बिहार विनियोग अधिनियमों के उपबन्धों से यथार्थत: अधिक किये गये व्यय के विनियम के लिए 52,41,521/- (बावन लाख एकतालिस हजार पाँच सौ एक्कीस) रूपये के अधिकाई अनुदान की राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, मंत्री: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

''वित्तीय वर्ष 1996-97 के अधिकाई व्यय विवरण के पृष्ठ 06 पर अंकित मांग संख्या 23 ''सड़के और पुल'' के संबंध में वित्तीय वर्ष 1996-97 के लिए बिहार विनियोग अधिनियमों के उपबन्धों से यथार्थत: अधिक किये गये व्यय के विनियमन के लिए 14,78,49,923/- (चौदह करोड़ अट्हत्तर लाख उनचास हजार नौ सौ तेइस) रूपये के अधिकाई अनुदान की राशि प्रदान की जाय ।''

यह लोक लेखा समिति द्वारा यथा समर्थित है । यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

''वित्तीय वर्ष 1996-97 के अधिकाई व्यय विवरण के पृष्ठ 06 पर अंकित मांग संख्या 23 ''सड़के और पुल'' के संबंध में वित्तीय वर्ष 1996-97 के लिए बिहार विनियोग अधिनियमों के उपबन्धों से यथार्थत: अधिक किये गये व्यय के विनियमन के लिए 14,78,49,923/- (चौदह करोड़ अट्हत्तर लाख उनचास हजार नौ सौ तेइस) रूपये के अधिकाई अनुदान की राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, मंत्री: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

''वित्तीय वर्ष 2003-04 के अधिकाई व्यय विवरण के पृष्ठ 08 पर अंकित मांग संख्या 50 ''लघु सिंचाई विभाग'' के संबंध में वित्तीय वर्ष 2003-04 के लिए बिहार विनियोग अधिनियमों के उपबन्धों से यथार्थत: अधिक किये गये व्यय के विनियमन के लिए 79,64,04,810/- (उनासी करोड़ चौंसठ लाख चार हजार आठ सौ दस) रूपये के अधिकाई अनुदान की राशि प्रदान की जाय ।''

यह लोक लेखा समिति द्वारा यथा समर्थित है । यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

''वित्तीय वर्ष 2003-04 के अधिकाई व्यय विवरण के पृष्ठ 08 पर अंकित मांग संख्या 50 ''लघु सिंचाई विभाग'' के संबंध में वित्तीय वर्ष 2003-04 के लिए बिहार विनियोग अधिनियमों के उपबन्धों से

यथार्थतः अधिक किये गये व्यय के विनियमन के लिए 79,64,04,810/- (उनासी करोड़ चौंसठ लाख चार हजार आठ सौ दस) रूपये के अधिकाई अनुदान की राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

टर्न-18/सत्येन्द्र/30-3-17

अध्यक्षः प्रभारी मंत्री,वित्त विभाग ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दकी,मंत्रीः महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''वित्तीय वर्ष 2003-04 के अधिकाई व्यय विवरण के पृष्ठ-09 पर अंकित मांग संख्या 30 ''अल्पसंख्यक कल्याण विभाग'' के संबंध में वित्तीय वर्ष 2003-04 के लिए बिहार विनियोग अधिनियमों के उपबन्धों से यथार्थतः अधिक किये गये व्यय के विनियमन के लिए 55,04,400/-(पचपन लाख चार हजार चार सौ) रू0 के अधिकाई अनुदान की राशि प्रदान की जाय ।''

यह लोक लेखा समिति द्वारा यथा समर्थित है । यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि :

''वित्तीय वर्ष 2003-04 के अधिकाई व्यय विवरण के पृष्ठ-09 पर अंकित मांग संख्या 30 ''अल्पसंख्यक कल्याण विभाग'' के संबंध में वित्तीय वर्ष 2003-04 के लिए बिहार विनियोग अधिनियमों के उपबन्धों से यथार्थतः अधिक किये गये व्यय के विनियमन के लिए 55,04,400/-(पचपन लाख चार हजार चार सौ) रू0 के अधिकाई अनुदान की राशि प्रदान की जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

अध्यक्षः प्रभारी मंत्री,वित्त विभाग।

श्री अब्दुल बारी सिद्दकी,मंत्रीः महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' वित्तीय वर्ष 2005-06 के अधिकाई व्यय विवरण के पृष्ठ 10 पर अंकित मांग संख्या 40 '' राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग'' के संबंध में वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए बिहार विनियोग अधिनियमों के उपबंधों से यथार्थतः अधिक किये गये व्यय के विनियमन के लिए 2,35,190/-(दो लाख पैंतीस हजार एक सौ नब्बे) रू0 के अधिकाई अनुदान की राशि प्रदान की जाय।''

यह लोक लेखा समिति द्वारा यथा समर्पित है। यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

'' वित्तीय वर्ष 2005-06 के अधिकाई व्यय विवरण के पृष्ठ 10 पर अंकित मांग संख्या 40 '' राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग'' के संबंध में वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए बिहार विनियोग अधिनियमों के उपबंधों से यथार्थत: अधिक किये गये व्यय के विनियमन के लिए 2,35,190/-(दो लाख पैंतीस हजार एक सौ नब्बे) रू0 के अधिकाई अनुदान की राशि प्रदान की जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई।

बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1981-82, 1983-84, 1987-88, 1991-92, 1996-97,1997-98, 2003-04, 2005-06 एवं 2014-15) विधेयक, 2017

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी,मंत्री: मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1981-82, 1983-84, 1987-88, 1991-92, 1996-97,1997-98, 2003-04, 2005-06 एवं 2014-15) विधेयक, 2017'' को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि :

''बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1981-82, 1983-84, 1987-88, 1991-92, 1996-97,1997-98, 2003-04, 2005-06 एवं 2014-15) विधेयक, 2017'' को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान दी गयी ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी,मंत्री: महोदय इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष: यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, मंत्री: मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

''बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1981-82, 1983-84, 1987-88, 1991-92, 1996-97,1997-98, 2003-04, 2005-06 एवं 2014-15) विधेयक, 2017'' पर विचार हो ।

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि :

''बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1981-82, 1983-84, 1987-88, 1991-92, 1996-97,1997-98, 2003-04, 2005-06 एवं 2014-15) विधेयक, 2017 पर विचार हो ।''

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खंड-2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''अनुसूचियां इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूचियां इस विधेयक का अंग बनीं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है किः

'' नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्षः प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी,मंत्रीः महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ किः

''बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1981-82, 1983-84, 1987-88, 1991-92, 1996-97,1997-98, 2003-04, 2005-06 एवं 2014-15) विधेयक, 2017'' स्वीकृत हो।''

श्री अनिल सिंहः अध्यक्ष महोदय, स्वीकृति के प्रस्ताव पर मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन कल भी मैंने देखा महोदय पिछले कई विधेयकों में भाषाई भूल के कारण आपके द्वारा सुधार किया गया । आज भी महोदय खंड-1 में संक्षिप्त नाम के तहत अंकित है-यह अधिनियम बिहार विनियोग अधिकाई व्यय विधेयक, 2017 कहा जा सकेगा । यह टंकण या भाषाई त्रुटि हो सकती है महोदय लेकिन इसी तरह पारित हो जाने से अधिनियम की जगह विधेयक रह जायेगा । कोई भी विधेयक सदन में आने से पहले तीन स्तर पर कम से कम गुजरता है महोदय, संबंधित विभाग, विधि विभाग , कैबिनेट । यह त्रुटि छोटी है महोदय, टंकण भूल हो सकती है, भाषाई जहां पर विधेयक है महोदय वहां पर अधिनियम होना चाहिए । मैं चाहूंगा...

अध्यक्षः विधेयक पास होता है न, तब वह अधिनियम बनता है । बिल पास होता है, तब ऐक्ट बनता है विधेयक बिल हुआ और अधिनियम ऐक्ट हुआ ।

श्री अनिल सिंहः तीनों स्तर पर आकर के आज पास होना है महोदय ।

अध्यक्षः तीनों स्तर पर बिल जब पेश होता है न, सदन से दोनों सदन पारित कर देगा और जब महामहिम का अनुमोदन हो जायेगा तब वह अधिनियम बनेगा ।

श्री अनिल सिंहः धन्यवाद ।

टर्न-19/मधुप/30.03.2017

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, मंत्री : महोदय, जैसा कि सदन अवगत है कि 28 मार्च, 2017 को बिहार विधान मंडल में वित्तीय वर्ष 1981-82, 1983-84, 1987-88, 1991-92, 1996-97, 1997-98, 2003-04, 2005-06 एवं 2014-15 से अधिकाई व्यय का विवरण उपस्थापित किया गया है ।

अधिकाई व्यय का विवरण से संबंधित बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1981-82, 1983-84, 1987-88, 1991-92, 1996-97, 1997-98, 2003-04, 2005-06 एवं 2014-15) विधेयक, 2017 विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया है और अभी स्वीकृति के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है ।

महोदय, किसी भी वित्तीय वर्ष में किसी माँग के लिए जितनी राशि पारित होती है, जैसे विभिन्न विभागों के डिमांड्स आते हैं, वह पास होते हैं । तो व्यय उसके अन्तर्गत ही होना है । यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से व्यय किसी स्वीकृत माँग से अधिक हो

जाता है तो ऐसे व्यय के विनियमन की प्रक्रिया भारत का संविधान के अनुच्छेद-205 में वर्णित है । महोदय, संविधान में...(व्यवधान)

महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद-205 में वर्णित है और संविधान में यह उल्लेख किया गया है कि The Governor shall - if any money has been spent on any service during a financial year in excess of the amount granted for the service and for that year, cause to be laid before the House or the Houses of the Legislature of the State another statement showing the estimated amount of that expenditure or cause to be presented to the Legislative Assembly of the State a demand for such excess, as the case may be.

महोदय, संविधान के अनुच्छेद-205 के तहत जो स्वीकृत माँग के अतिरिक्त कई अपरिहार्य कारणों से ज्यादा खर्च हो गया है, उसी को विनियमित करने के लिये यह प्रस्ताव महामहिम राज्यपाल यथा स्थिति राज्य के विधान मंडल के सदन या सदनों के समक्ष उस व्यय कि प्राक्किलत रकम को दर्शित करने वाला दूसरा विवरण रखवाएगा । यह संवैधानिक बाध्यता है । भारत के संविधान के अनुच्छेद-205 की कंडिका 2 के अनुसार ऐसे किसी विवरण और व्यय या माँग के संबंध में तथा राज्य की संचित निधि में से ऐसे व्यय या ऐसी मांग से संबंधित अनुदान की पूर्त्ति के लिये धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाली किसी विधि के संबंध में भी अनुच्छेद 202, अनुच्छेद 203 और अनुच्छेद 204 के उपबंध वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे वे वार्षिक वित्तीय विवरण और उसमें वर्णित व्यय के संबंध में या किसी अनुदान की किसी मांग के संबंध में और राज्य की संचित निधि में से ऐसे व्यय की अनुदान की पूर्त्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाली विधि के संबंध में प्रभावी है । भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त वित्त लेखे, विनियोग लेखे एवं अन्य प्रतिवेदनों को विधान सभा में महामहिम की अनुशंसा पर उपस्थापित किया जाता है । उपस्थापन के उपरान्त लेखों/प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति के विचारार्थ भेजा जाता है । लोक लेखा समिति की अनुशंसा के आलोक में ही अधिकाई व्यय का विनियमन का प्रस्ताव दिया जा सकता है वरना नहीं ।

लोक लेखा समिति ने विभिन्न बैठकों में विचार कर प्रतिवेदन संख्या- 602, 603, 604, 607, 608, 609, 610, 611, 612 एवं 613 में अधिकाई व्यय के विनियमन की अनुशंसा की है । लोक लेखा समिति की अनुशंसा के आलोक में वर्ष 1981-82 से वर्ष 2014-15 तक के कुल अधिकाई व्यय में से 117.96 करोड़ रूपये के विनियमन के लिए विधेयक प्रस्तुत किया गया है । उक्त प्रतिवेदनों में विभिन्न वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित राशि को विनियमित करने की अनुशंसा है । यह संवैधानिक बाध्यता है ।

यह पढ़ दें महोदय, या पटल पर रख दें ?

अध्यक्ष : वह तो आप रख दीजिये और यह आपके वक्तव्य का पार्ट बन जायेगा ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, मंत्री : महोदय, यह विवरणी और लिखित वक्तव्य पटल पर रख देता हूँ।

(परिशिष्ट - द्रष्टव्य)

श्री नन्दकिशोर यादव : महोदय, मैं जानता हूँ कि संवैधानिक व्यवस्था है और लोक लेखा समिति ने विचार किया है, विचार करके अनुशंसा किया है, मैं इससे सहमत हूँ । लेकिन महोदय, जब मैं देख रहा था इसके वर्ष को, तो मुझे दिखाई पड़ा कि जब-जब वित्त मंत्री जी अधिकांश समय मंत्री रहे हैं, उसी समय का अधिकांश है ।

मैं केवल कहना चाहता हूँ कि आदर्श व्यवस्था यह है कि ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिये । अगर आपको लगता है कि जो आवंटन आपके विभाग को मिला है, उससे अधिक खर्च हो रहा है, अधिक आवश्यकता है तो आपके पास सप्लीमेंट्री का प्रोवीजन है । आदर्श व्यवस्था यह है कि ऐसी नौबत न आये, सरकार इसकी व्यवस्था करे। चूंकि अधिकांश समय में या तो आप रहे हैं वित्त मंत्री या आपके बगल वाले चले गये अशोक जी, उनकी पार्टी की सरकार रही है । ऐसी नौबत न आये, इसका जरूर ध्यान रखें ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, मंत्री : महोदय, इसी वजह से संवैधानिक और संसदीय परम्परा में यह व्यवस्था की गई है कि लोक लेखा समिति के जो सभापति होंगे, वह मुख्य विपक्षी दल के होंगे और आपको विचार करना है, आपको अनुशंसा करना या रिजेक्ट करना है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1981-82, 1983-84, 1987-88, 1991-92, 1996-97, 1997-98, 2003-04, 2005-06 एवं 2014-15) विधेयक, 2017 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1981-82, 1983-84, 1987-88, 1991-92, 1996-97, 1997-98, 2003-04, 2005-06 एवं 2014-15) विधेयक, 2017 स्वीकृत हुआ ।

<u>बिहार जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) (संशोधन) विधेयक, 2017</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि:

''बिहार जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गई ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, मंत्री : महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

टर्न-20/आजाद/30.03.2017

अध्यक्ष : अब विचार का प्रस्ताव । प्रभारी मंत्री ।

<u>विचार का प्रस्ताव</u>

श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी,मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

'' बिहार जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार हो । ''

अध्यक्ष : बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन निमयावली के नियम 122(।) के तहत माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा ।

क्या माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा, अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री विजय कुमार सिन्हा : मूव करेंगे सर ।

अध्यक्ष : करिए ।

<u>विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श</u>

श्री विजय कुमार सिन्हा : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' बिहार जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) (संशोधन) विधेयक, 2017 के सिद्धांत पर विमर्श हो । ''

महोदय, एक अच्छा विधेयक है लेकिन इसके अन्दर जो शंकायें और आशंकायें बनी हुई है । आज महोदय, यह फर्जी कम्पनी चीट फंड में जो काम करने वाले लोग हैं, कई राज्य के अन्दर बहुत बड़ा घोटाला के स्वरूप में बदल गया है । महोदय, इसमें जो लाया गया है, उसमें पुलिस को बिना मजिस्ट्रेट के अनुमति के कार्रवाई करने का अधिकार देने,

जमाकर्त्ताओं के हितों के रक्षा के लिए आवश्यक है, यह मानसिक संतुष्टि होगी महोदय। लेकिन क्या सच्चाई यह नहीं है महोदय कि आज शराबबंदी के लिए माननीय मुख्यमंत्री के पहल पर और हमने भी संकल्प के लिए आग्रह किया था, पुलिस को कितना अधिकार दिया गया लेकिन जब नियति ठीक होती है महोदय तो नीति सफल होती है । आज सच्चाई सामने आ रहा है महोदय कि आज बिहार के अन्दर बेरोजगारों की एक लम्बी फौज खड़ी है, ये चीट फंड कम्पनी वाले लोग आते हैं और इन नौजवानों को आकर्षित करते हैं, उसे लोभ देते हैं, उसे प्रलोभन देते हैं और वे लोग इनके लिए काम करते हैं । महोदय, ये नौजवान जब इनके झांसे में आ जाते हैं तो लोगों से पैसा जमा कराने लगते हैं, फंड कलेक्शन करने लगते हैं और जब फंड कलेक्शन हो जाता है तो यह कम्पनी भाग जाती है और वे अपने को दिवालिया घोषित कर लेते हैं । महोदय, इस कम्पनी को लाईसेंस देने वाले पदाधिकारी की भी कोई जिम्मेवारी बनती है या नहीं ? उस पदाधिकारी पर क्या कार्रवाई होगी, उसके संदर्भ में यह विधेयक गौण है । क्या ये बेरोजगार नौजवान अपनी रोटी की तड़प के लिए किसी के झांसे में आ गया तो उसको पुलिस सीधे पकड़ लेगी और पुलिस पकड़ कर क्या करेगी, इस सदन में बैठे सभी माननीय सदस्य हमलोग जानते हैं कि पुलिस का क्या एक्शन होगा लेकिन ये पदाधिकारी जिसके हाथों से लाईसेंस बना महोदय, उस पदाधिकारी पर क्या होगा ? महोदय, हम चाहते हैं कि यह खानापूर्त्ति करने के बजाय महोदय इसपर एक बार इसके सिद्धांत पर विचार हो ।

एक चीज और कहना चाहेंगे महोदय कि वसंती नवरात्रा के पावन पर्व पर ये विक्रम संवत 2074 जो शुभ संकेत लेकर आया है । महोदय, यह एक अच्छा पहल हुआ है । हम तो शुभकामना देते हैं और माननीय मुख्यमंत्री बैठे हैं कि यह एक अच्छा पहल भ्रष्टाचार के विरोध में एक शुरूआत हुई है, भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाने के लिए एक सार्थक पहल हो, इसपर सिर्फ खानापूर्त्ति बनकर न रह जाय महोदय ।

अध्यक्ष : ठीक है । विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श के बाद अब जनमत जानने का प्रस्ताव ।

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचारित कराने का प्रस्ताव दिया गया है । क्या माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा, अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री विजय कुमार सिन्हा : मूव करेंगे सर ।

अध्यक्ष : मूल बात तो आपने कह दी है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' बिहार जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) (संशोधन) विधेयक, 2017 दिनांक-30अप्रील,2017 तक जनमत जानने हेतु परिचारित हो । ''

महोदय, आज बड़े लोगों के पास बड़े बैंकर्स लोग पहुँचते हैं लेकिन ये छोटे पॉकेट को तलाशते हैं और इस पॉकेट को तलाशने में आज कोलकाता से लेकर बिहार तक, 10 साल से ऊपर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जे0वी0जी0 कम्पनी से लेकर के रोसरी, गोल्डमाईन, के0वी0जी, कोलकता वेलफेयर, हेलियस फायनांस, प्लस इंडिया लि0, रोजवैली इतनी सारी कम्पनियां इन छोटे लोगों को दिवाला निकाल दिया है, इनके सपने को बर्बाद कर दिया । इस तरह से जो लोग इसमें पीड़ित हुये हैं, दु:खी हुए हैं । हम तो कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी करनी और कथनी की बात करते हैं सदन के अन्दर तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का ईमानदारी से पहल होनी चाहिए । आपकी सरकार में, आपकी मौजूदगी में कई लोग ठगे गये हैं और इस ठगी के कारण सरकार की नजरों में कई बार मामला आया है । महोदय, हम आग्रह करेंगे कि पुलिस की नियति के कारण नीति फेल हो रही है । शराबबंदी की नीति आज फेल हो रही है और हर जिलें के अन्दर शराबबंदी नहीं पाया जाता है क्योंकि नियति वहां खराब है । वह भी पुलिसिया जुर्म बढ़ेगा महोदय और इसके साथ बेरोजगार नौजवानों के साथ अत्याचार होगा, उसका दोहन होगा और जो भ्रष्ठ पदाधिकारी नीति को बनाते हैं, लाईसेंस देते हैं, उस पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं होगी, यह जनता के साथ इंसाफ नहीं है । इसलिए हम चाहेंगे कि जनमत संग्रह के माध्यम से पीड़ित लोगों का भाव इसमें लिया जाय महोदय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

'' बिहार जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) (संशोधन) विधेयक, 2017 दिनांक-30 अप्रील,2017 तक जनमत जानने हेतु परिचारित हो । '

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' बिहार जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार हो । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडश: लेता हूँ ।

माननीय सदस्यगण, विधेयक के खंडों पर विचार करने से पूर्व मैं सदन को सूचित करना चाहता हूँ कि विधेयक के भार साधक सदस्य सह प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा

सूचना दी गई है कि विधेयक के खंड-2 के परन्तुक के चौथी पंक्ति में टंकण त्रुटि के कारण 'ऐसे अपराध' के स्थान पर 'ऐसी अपराध' अंकित हो गया है, जिसे 'ऐसे अपराध' के रूप में पढ़ा जाय । चूँकि यह एक शाब्दिक एवं टंकण अशुद्धि है ।

अतएव शब्द 'ऐसी अपराध' को 'ऐसे अपराध' के रूप में पढ़ा हुआ माना जायेगा।

खंड-2, 3 एवं 4 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खंड-2, 3 एवं 4 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2, 3 एवं 4 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खंड-1 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' नाम इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : अब स्वीकृति का प्रस्ताव । प्रभारी मंत्री ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी,मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

'' बिहार जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) (संशोधन) विधेयक, 2017 स्वीकृत हो । ''

अध्यक्ष : कोई माननीय सदस्य ?

श्री प्रेम कुमार,नेता विरोधी दल : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के द्वारा बिहार जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) (संशोधन),2017 जो लाया गया है । महोदय, लम्बे समय से राज्य के अन्दर में नन्-कम्पनियों जो हैं उसमे रोजवैली है, शारदा

चीट फंड है, पल्स इंडिया है, हेलियस फायनांस है, वैसे महोदय सैकड़ों कम्पनियां लम्बे समय से काम कर रही है

..... क्रमशः .....

टर्न-21/अंजनी/दि0 30.03.2017

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल..क्रमशः... : और मुझे याद है कि इसी सदन में विधान सभा की कमिटी बनी थी और उस कमिटी की रिपोर्ट आयी लेकिन उसपर कोई कार्रवाई नहीं हो पायी । इसकी वजह से ऐसी कम्पनियों को फिर अवसर मिला । राज्य की बड़ी आबादी जो गांव और गरीबों की है, उनसे पैसे की वसूली करके बिहार से बाहर ले जा रहे हैं और बिहार की जनता को लूटने का काम कर रहे हैं । मुझे याद है कि विगत 25-30 वर्षों से ऐसी कम्पनियां लाईसेंस लेकर काम करती है । इसकी सघन जांच होनी चाहिए। कम्पनियों के द्वारा जो बड़े-बड़े इमारत बनाये जा रहे हैं और जो बड़ी-बड़ी सम्पत्ति खरीदी गयी, इसपर हमारा सरकार से आग्रह होगा कि जो जमाकर्त्ता हैं, यह गरीबों का पैसा है, सरकार ने एक अच्छा प्रयास किया है तो क्या माननीय वित्त मंत्री जी बतायेंगे कि जिन गरीबों का पैसा लेकर वे भाग गये और अपनी प्रोपर्टी खड़ा कर लिए बिहार के कई स्थानों में तो उनकी जो सम्पत्ति है तो उसके संबंध में कम्पनियों से क्या जमाकर्त्ता गरीबों का पैसा वापस दिलाने का काम करेंगे ? जो बिहार के नौजवान बेरोजगार थे और उनको रोजगार देने में सरकार विफल रही और ऐसे कम्पनियों के झांसे में आकर बिहार की जनता के साथ जो स्थिति पैदा हुई है और इसमें कोई नयी बात नहीं है, सरकार को सजग रहना चाहिए कि राज्य के अन्दर कोई आदमी अगर इस तरह का काम कर रहा है फर्जी ढ़ंग से .....

(व्यवधान)

महिलाओं पर लाठी चार्ज के बारे में आप लोग बोल रहे हैं, हमलोगों के कान में आवाज आ रहा है कि आंगनवाड़ी सेविकाओं पर लाठी चार्ज हुआ है, हमलोग बाद में उठायेंगे । महोदय, हम कहना चाह रहे थे कि काफी दुखद स्थिति है । हम माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि आपने जो बिल लाया है, इसके संबंध में सुनिश्चित करके बताइए कि जो लोग गरीबों का पैसा लेकर चले गये, उसकी वापसी कैसे होगी ? पुलिस को जो आप ज्यादा पावर देने जा रहे हैं तो कहीं उसका दुरूपयोग न हो ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, मंत्री : महोदय, अभी नेता प्रतिपक्ष ने कुछ आशंकायें अपनी व्यक्त की है और विजय सिन्हा जी ने बिल का समर्थन किया है, मगर उनका कहना है कि जो ऐसी नन फाइनेंसियल बहुत सारी कम्पनियां हैं, वह आती हैं और अपना दफ्तर खोलती है, गरीबों को ठगती है और पैसा लेकर चली जाती हैं । महोदय, यह एक तरह से मॉडल

एक्ट है । ऐसे तो एक्ट पहली बार जमाकर्त्ता जो जमा करते है, उनके हित के लिए ही बनाया गया था । मगर कानून कोई भी हो, पत्थर का लकीर है नहीं, मतलब आदमी कानून बनाता है इस अपेक्षा से कि इस कानून के जरिए हम अंकुश लगायेंगे और जो जमाकर्त्ता हैं, उनको हम फायदा पहुंचायेंगे । मगर जब कही-न-कहीं किसी तरह की त्रुटि रह जाती है तो फिर उसमें संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती है ।

श्री नंद किशोर यादव : महोदय, यह बात उस समय आपको याद नहीं रहती थी, जब आप यहां खड़े रहते थे । याद है न आपको । जब यहां बैठा करते थे तो उस समय यह बात आपको याद नहीं पड़ता था ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, मंत्री : चूंकि मैं वह बात बोलना नहीं चाहता हूँ, मगर मैं बोल देता हूँ। महोदय, तो जो कानून लाया गया है, उसमें तीन विन्दु हैं, जो जमाकर्त्ता के हित में है । एक तो है कि अधिनियम में संशोधन करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि अधिनियम के तहत दर्ज काडों का अनुसंधान पहले पुलिस उपाधीक्षक को दिया गया था, मगर उनके पास खुद का काम ज्यादा रहता है, जिसके वहज से इस तरह के कामों को संजीदगी से नहीं देख पाते हैं तो इसमें यह सुधार किया गया कि पुलिस उपाधीक्षक के साथ-साथ पुलिस निरीक्षक को भी यह पावर दिया जाय कि वह इस तरह के मामले को देखे । दूसरा यह है कि दर्ज कांडों में आरोपित व्यक्तियों द्वारा जमाकर्त्ताओं को निर्धारित ब्याज सहित सम्पूर्ण देय राशि का भुगतान कर देने पर अपराध का सम्मन कम्पाउंड ऑफ ऑफेंस कर कांडों की कार्रवाई समाप्त करती जायेगी । तीसरा यह कि जमाकर्त्ताओं के भुगतान हेतु अगर कुर्क की गयी सम्पत्ति है और उसके विक्रय से जो पैसा आता है, वसूला जाता है तो उस धन का यदि कम पड़ता है तो संबंधित वित्तीय स्थापना के संचालकों एवं कर्मियों से शेष राशि की भुगतान हेतु जुर्माना लगाया जा सकेगा । प्रेम बाबू जी भी और नंद किशोर जी भी खड़े हुए और चिन्ता व्यक्त की कि ऐसे नन फिनाइंसियल कम्पनीज आ जाते हैं और एक तरह से कहिए कि वो तो लॉग्वेज अनपार्लियामेंट्री हो जायेगा, मशरूम की तरह यहां पैदा हो जाते हैं और उसका लाईसेंसी अथोरिटी हम नहीं हैं, उसके लाईसेंसिंग एथोरिटी आर0बी0आई0 है, वह आर0बी0आई0 से ले लेती है, मगर आर0बी0आई0 से लेने के बाद भी अगर उनको अपना बिजनेस करना है तो उनको जिलाधिकारी को सूचित करना है । मगर ऐसी कम्पनियां जिलाधिकारी को सूचित भी नहीं कर पाती है और जब कोई शिकायत मिलती है तब उसका नकेल कसने की कार्रवाई सरकार की तरफ से होता है । अभी बहुत सारी कम्पनियां आज ही उस सदन में सहारा इंडिया का मामला आया हुआ था । महोदय, हमलोगों ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और जो बिहार के गरीब, मजदूर किसान का इस तरह का पैसा अगर कोई लूटकर ले जाना चाहे तो एक तो हमलोग प्रचार-प्रसार भी करते हैं कि भई ऐसे कम्पनियों से सावधान रहें । तो इसको और थोड़ा और व्यापक प्रचार-प्रसार की जरूरत है ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : महोदय, आपके शासन काल में जो आर0जे0डी0 का शासन था तो 15 वर्षों में हमने देखा, एक विधान सभा की कमिटी बनी थी तो उसके रिपोर्ट का क्या हुआ ?

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, मंत्री : आप छोड़िए नहीं, बैठ जाइए । आरोप-प्रत्यारोप लगाने का नहीं है। जो रिपोर्ट के बारे में कह रहे हैं, उसको सरकार देखेगी । मगर अभी जो आया है और मैं माननीय सदस्यों को भी और मंत्रियों को भी एक सलाह देना चाहूंगा कि इस तरह की कम्पनियां अगर किसी तरह के कार्यक्रम में आमंत्रित करती है तो उसमें कृपया करके न जायें इसलिए कि जब मंत्री, एम0एल0ए0, नेता विरोधी दल, दूसरे लोग अगर चले जाते हैं तो ऐसी फर्जी कम्पनियों की विश्वसनीयता बढ़ जाती है और आम आदमी सोचता है जब इसमें मंत्री और नेता जा रहे हैं तो यह कम्पनी सही होगी । तो यह ध्येय हमारा है कि ऐसे कम्पनियों को चेक करना, अंकुश लगाना, इसलिए इसको अभी पास कीजिए और यह जमाकर्त्ता के हित में है ।

टर्न-22/शंभु/30.03.17

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''बिहार जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण(वित्तीय स्थापनाओं में) (संशोधन) विधेयक, 2017'' स्वीकृत हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

बिहार जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण(वित्तीय स्थापनाओं में) (संशोधन) विधेयक, 2017 स्वीकृत हुआ ।

श्री प्रेम कुमार,ने0वि0द0 : महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहेंगे कि महिलाओं पर.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आज दिनांक 30 मार्च, 2017 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 54 है, अगर सदन की सहमति हो तो संबंधित विभागों को भेज दिया जाय।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक शुक्रवार दिनांक 31 मार्च, 2017 को 11.00 बजे पूर्वा0 तक के लिए स्थगित की जाती है ।

*****

माननीय अध्यक्ष महोदय,

दिनांक 28 मार्च 2017 को बिहार विधान मंडल में वित्तीय वर्ष 1981–82, 1983–84, 1987–88, 1991–92, 1996–97, 1997–98, 2003–04, 2005–06 एवं 2014–15 के अधिकाई व्यय का विवरण उपस्थापित किया गया है ।

अधिकाई व्यय का विवरण से संबंधित बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1981–82, 1983–84, 1987–88, 1991–92, 1996–97, 1997–98, 2003–04, 2005–06 एवं 2014–15) विधेयक, 2017 विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया है, और इस पर विचार कर पारित किया जाना प्रस्तावित है ।

महोदय, किसी भी वित्तीय वर्ष में किसी मांग के लिए जितनी राशि पारित होती है, व्यय उसके अन्तर्गत ही होना चाहिए । यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणवश व्यय किसी स्वीकृत मांग से अधिक हो जाता है, तो ऐसे व्यय के विनियमन की प्रक्रिया भारत का संविधान के अनुच्छेद 205 में वर्णित है । अनुच्छेद 205 की उप कंडिका 1 (ख) के अनुसार महामहिम राज्यपाल, यथास्थिति राज्य के विधान मंडल के सदन या सदनों के समक्ष उस व्यय की प्राक्कलित रकम को दर्शित करने वाला

दूसरा विवरण रखवाएगा या राज्य की विधान सभा में ऐसे आधिक्य के लिए मांग प्रस्तुत करवाएगा ।

भारत का संविधान के अनुच्छेद 205 की कंडिका-2 के अनुसार ऐसे किसी विवरण और व्यय या मांग के संबंध में तथा राज्य की संचित निधि में से ऐसे व्यय या ऐसी मांग से संबंधित अनुदान की पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाली किसी विधि के संबंध में भी अनुच्छेद 202, अनुच्छेद 203 और अनुच्छेद 204 के उपबंध वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे वे वार्षिक वित्तीय विवरण और उसमें वर्णित व्यय के संबंध में या किसी अनुदान की किसी मांग के संबंध में और राज्य की संचित निधि में से ऐसे व्यय की अनुदान की पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाली विधि के संबंध में प्रभावी है । भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त वित्त लेखे, विनियोग लेखे एवं अन्य प्रतिवेदनों को विधान सभा में महामहिम की अनुशंसा पर उपस्थापित किया जाता है । उपस्थापन के उपरान्त लेखों/प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति के विचारार्थ दे दिया जाता है । लोक लेखा समिति की अनुशंसा के आलोक में ही अधिकाई व्यय का विनियमन का प्रस्ताव दिया जा सकता है ।

लोक लेखा समिति ने विभिन्न बैठकों में विचार कर प्रतिवेदन संख्या- 602, 603, 604, 607, 608, 609, 610, 611, 612 एवं 613, में अधिकाई व्यय के विनियमन की अनुशंसा की है ।

लोक लेखा समिति की अनुशंसा के आलोक में वर्ष 1981-82 से वर्ष 2014-15 तक के कुल अधिकाई व्यय में से 117.96 करोड़ रूपये (एक सौ सत्रह करोड़ छियानवे लाख रूपये) के विनियमन के लिए विधेयक प्रस्तुत किया गया है ।

उक्त प्रतिवेदनों में विभिन्न वित्तीय वर्षो में निम्नलिखित राशि को विनियमित करने की अनुशंसा है:-

अधिकाई व्यय की राशि जो विधेयक में प्रस्तावित है।

क्र0 सं0	विनियोग /अनुदान सं0	अनुदान/विनियोग का नाम (संबंधित विभाग का नाम)	वर्ष	राजस्व /पूंजी	दतमत (Voted)	भारित (Charged)	कुल राशि (रूपये में)	कुल राशि शब्दों में
1	3	मंत्रिपरिषद् निर्वाचन, सचिवालय एवं जिला प्रशासन (सामान्य प्रशासन)	1981-82	राजस्व	17668723	0	17668723	एक करोड़ छिहत्तर लाख अड़सठ हजार सात सौ तेईस रूपये
2	12	लोक निर्माण कार्य, आवास एवं सिविल विमानन (भवन निर्माण/पथ निर्माण)	1983-84	राजस्व	94482894	0	94482894	नौ करोड़ चौवालिस लाख बेरासी हजार आठ सौ चौरानबे रूपये
3	19	पुलिस एवं अन्य प्रशासनिक सेवायें (गृह)	1987-88	राजस्व	79964098	0	79964098	सात करोड़ निन्यानवे लाख चौसठ हजार अंठानवे रूपये
4	6	दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत (आपदा प्रबंधन)	1991-92	राजस्व	5241521	0	5241521	बावन लाख एकतालीस हजार पाँच सौ इक्कीस रूपये
5	23	सड़कें और पुल (पथ निर्माण)	1996-97	राजस्व	147849923	0	147849923	चौदह करोड़ अठहत्तर लाख उन्चास हजार नौ सौ तेईस रूपये

क्र० सं०	वि॰ योग /अनुदान सं०	अनुदान/विनियोग का नाम	वर्ष	राजस्व /पूंजी	दतमत (Voted)	भारित (Charged)	कुल राशि (रूपये में)	कुल राशि शब्दों में
6	7	जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी तथा अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें (योजना एवं विकास)	1997-98	राजस्व	0	137867	137867	एक लाख सैतीस हजार आठ सौ सड़सठ रूपये
7	50	लघु सिंचाई विभाग (लघु जल संसाधन)	2003-04	राजस्व		5972201	802377011	असी करोड़ तेईस लाख सतहत्तर हजार ग्यारह रूपये
				पूंजी	796404810	0		
8	30	अल्प संख्यक कल्याण विभाग	2003-04	पूंजी	5504400	0	5504400	पचपन लाख चार हजार चार सौ रूपये
9	40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	2005-06	पूंजी	235190	0	235190	दो लाख पैतीस हजार एक सौ नब्बे रूपये
10	14	ऋण अदायगियाँ (वित्त)	2014-15	पूंजी	0	26157938	26157938	दो करोड़ एकसठ लाख संतावन हजार नौ सौ अड़तीस रूपये
योग राजस्व					345207159	6110068	351317227	पैंतीस करोड़ तेरह लाख सात हजार दो सौ सताईस रूपये
योग पूंजी					802144400	26157938	828302338	बेरासी करोड़ तेरासी लाख दो हजार तीन सौ अड़तीस रूपये
महायोग					**1147351559**	**32268006**	**1179619565**	एक सौ सत्रह करोड़ छियानवे लाख उन्नीस हजार पाँच सौ पैंसठ रूपये

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष (2015-16) का प्रतिवेदन राज्य का वित्त में विगत वर्षों में प्रावधान से आधिक्य की राशि वर्ष 1977-78 से वर्ष 2014-15 के बीच 1065.07 करोड़ रूपये (एक हजार पैंसठ करोड़ सात लाख रूपये) की बतायी गयी है। वर्त्तमान में 117.96 करोड़ रूपये (एक सौ सत्रह करोड़ छियानवे लाख

रूपये) का विनियमन का प्रस्ताव है । शेष राशि 947.11 करोड़ रूपये (नौ सौ सैंतालीस करोड़ ग्यारह लाख रूपये) की बचती है । लम्बित मामले में से 657.98 करोड़ रूपये (छः सौ सन्तावन करोड़ अन्ठानवे लाख रूपये) पशुपालन घोटाले के मामले से संबंधित है जिसपर न्यायालय में कार्रवाई हो रही है । उक्त राशि को छोड़कर शेष राशि 289.13 करोड़ रूपये (दो सौ नवासी करोड़ तेरह लाख रूपये) की है, जिसमें शिक्षा विभाग से संबंधित कुल 264.31 करोड़ रूपये (दो सौ चौंसठ करोड़ एकतीस लाख रूपये) में से 258.77 करोड़ रूपये (दो सौ अन्ठावन करोड़ सतहत्तर लाख रूपये) पर लोक लेखा समिति की अनुशंसा प्राप्त हो चुकी है जिसका प्रतिवेदन बिहार विधान सभा में चालू सत्र में समर्पित किया गया है जिसका अधिकाई व्यय का विवरण एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक आगे के सत्र में प्रस्तुत किया जायेगा । शेष मामले 30.36 करोड़ रूपये (तीस करोड़ छत्तीस लाख रूपये) के हैं । इस राशि के विनियमन के लिए अगेत्तर कार्रवाई की जा रही है ।

अधिकाई व्यय को विनियमित करने से संबंधित प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया । सदन से अनुरोध करना है कि अधिकाई व्यय से संबंधित बिहार

विनियोग अधिकाई व्यय (1981–82, 1983–84, 1987–88, 1991–92, 1996–97, 1997–98, 2003–04, 2005–06 एवं 2014–15) विधेयक, 2017 पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए ध्वनिमत से पारित किया जाय ।

!! जय हिन्द !!